

मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986

(1986 संख्यांक 10)

मसालों के निर्यात के विकास के लिए और इलायची उद्योग के नियंत्रण के लिए, जिसके अन्तर्गत इलायची की खेती का नियंत्रण है, और उससे संबंधित विषयों के लिए बोर्ड की गठन करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में वह अधिनियमित हो:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 है।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।*

2. परिभाषाएं-

इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "बोर्ड" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित मसाला बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ख) "इलायची" से इलायची के पौधे का फल अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत हरी इलायची, विरंजित इलायची, विरंजेय सफेद इलायची, धूप में सुखाई गई इलायची, इलायची के बीज, चूर्णित इलायची और इलायची से निष्कासित तेल हैं;
- (ग) "इलायची का पौधा" से अभिप्रेत है इलेटेरिया कार्डमोम मैटन, अमोमम सुबुलेटम रोक्सब और कोई अन्य पौधा जिसे बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इलायची के पौधे के रूप में घोषित करें;
- (घ) "प्रमाणपत्र" से धारा 12 के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;
- (ङ.) "व्यवहारी" से मसालों का व्यवहारी अभिप्रेत हैं;
- (च) "सम्पदा" से एक यूनिट के रूप में प्रशासित ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें इलायची के पौधों से रोपित भूमि हैं,

* भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय, अधिसूचना सं. 122 (ई) दिनांक 26-2-1987 के अनुसार मसाला बोर्ड अधिनियम 1986, 26 फरवरी 1987 से चालू हुआ है।

- (छ) "निर्यात" और "आयात" से भूमि, समुद्र और वायु मार्ग द्वारा क्रमशः भारत से बाहर ले जाना या भारत के भीतर लाना अभिप्रेत है;
- (ज) "विनिर्माता" से मसालों का विनिर्माता अभिप्रेत है;
- (झ) "सदस्य" से धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है;
- (ञ) "स्वामी" के अन्तर्गत इलायची के पौधों से रोपित किसी भूमि के संबंध में निम्नलिखित आते हैं,-
 - (I) "स्वामी" का कोई अभिकर्ता; और
 - (II) भूमि का वास्तविक कब्जा रखने वाला कोई बंधकदार, पट्टाधारी या अन्य व्यक्ति;
- (ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ठ) "रजिस्ट्रीकृत सम्पदा" से ऐसी सम्पदा अभिप्रेत है जिसके संबंध में कोई स्वामी धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और इसके अन्तर्गत ऐसी कोई सम्पदा है जिसके संबंध में स्वामी के उस उपधारा के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने की अपेक्षा है;
- (ड) "रजिस्ट्रीकृत स्वामी" से किसी रजिस्ट्रीकृत सम्पदा का ऐसा स्वामी अभिप्रेत है जो धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है या किया जाता है या किए जाने के लिए अपेक्षित है, और
- (ढ) "मसाला" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट मसाला अभिप्रेत है:

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी अन्य मसाले को जोड़ सकती है या उसमें से किसी मसाले का लोप कर सकती है।

अध्याय 2

मसाला बोर्ड

3. बोर्ड का गठन और निगमन

- (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मसाला बोर्ड के नाम से ज्ञात एक बोर्ड का गठन करेगी।
- (2) बोर्ड पूर्वोक्त नाम का शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।
- (3) * बोर्ड बत्तीस से अनधिक इतने सदस्यों से मिलकर बनेगा जो विहित किए जाएं, और जब तक कि इस निमित्त बनाए गए नियमों में अन्यथा उपबन्ध न किया जाए, बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

*मसाला बोर्ड नियम 1987, अध्याय II देखिये

- (क) एक अध्यक्ष;
- (ख) संसद् के तीन सदस्य जिनमें से दो लोकसभा द्वारा और एक राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे।
- (ग) तीन सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार के क्रमशः
 - (i) वाणिज्य
 - (ii) कृषि; और
 - (iii) वित्त;

से संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे;

- (घ) छः सदस्य, जो मसालों को उगाने वालों का प्रतिनिधित्व करेंगे;
- (ङ.) ग्यारह सदस्य, जो मसालों के निर्यातकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे;
- (च) तीन सदस्य, जो मसाले उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे;
- (छ) पांच सदस्य, जिनमें :-
 - (i) कोको, अर्कनट और मसाला विकास निदेशालय, कालिकट;
 - (ii) भारतीय पैकेज संस्थान, मुम्बई,
 - (iii) केन्द्रीय खाद्य तकनीकी और अनुसंधान संस्थान, मैसूर;
 - (iv) प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम, और
 - (v) केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड, में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य होगा।
- (4) बोर्ड के सदस्य का पद उसके धारक को संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने या होने से निरर्हित नहीं करेगा।
- (5) सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।
- (6) बोर्ड के अधिवेशनों में अध्यक्षता करने के अतिरिक्त अध्यक्ष बोर्ड की ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं।
- (7) बोर्ड अपने सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगा जो अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं उसे अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित किये जाएं।
- (8) बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इसी कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि:-

- (क) बोर्ड में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि है;
- (ख) बोर्ड के सदस्यों के रूप में कृत्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है;
- (ग) बोर्ड की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है जो मामले के गुणावगुण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है;

सचिव और अन्य अधिकारी 4. (1) बोर्ड, सचिव और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझता है।

(2) बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसे होंगे जैसे विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।

सलाहकार समितियां 5. (1) बोर्ड इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, समय समय पर ऐसी समितियों का गठन कर सकेगा जो उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(2) उपधारा (I) के अधीन गठित प्रत्येक समिति उतने व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जो बोर्ड ठीक समझे।

6. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ही:-

इलायची बोर्ड और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद् की आस्तियों और दायित्वों का बोर्ड को अन्तरण (क) ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व इलायची बोर्ड और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद् में निहित सभी सम्पत्ति और अन्य आस्तियाँ बोर्ड में निहित हो जाएंगी;

(ख) इलायची बोर्ड या मसाला निर्यात संवर्धन परिषद् के प्रयोजन के लिए या उसके सम्बन्ध में, ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व इलायची बोर्ड या मसाला निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा या उसके साथ या उसके लिए उपगत सभी ऋण, बाध्यताओं और दायित्व, की गई सभी संविदाओं और किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी विषयों और बातों के बारे में यह माना जाएगा कि वे बोर्ड द्वारा या उसके साथ या उसके लिए उपगत की गई और किए जाने के लिए वचनबद्ध हैं;

(ग) ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व इलायची बोर्ड या मसाला निर्यात संवर्धन परिषद् को देय सभी धनराशियां बोर्ड को देय मानी जाएंगी;

(घ) ऐसे सभी वाद और अन्य विधि कार्यवाहियां जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व इलायची बोर्ड या मसाला निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित की गई हैं या की जा सकती थीं बोर्ड द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी; और

(ड.) ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व इलायची बोर्ड या मसाला निर्यात संवर्धन परिषद् के अधीन अपना पद या सेवा, पेंशन, उपदान और अन्य विषयों के संबंध में उन्हें अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा जो उसे तब अनुज्ञेय होते यदि ऐसा विनिधान न हुआ होता; और वह ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक कि बोर्ड के अधीन उसका नियोजन सम्यक् रूप से पर्यवसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसका पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती है।

1947 का 14 (2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड द्वारा किसी कर्मचारी का इस धारा के अधीन अपनी सेवा में समाभिलन ऐसे कर्मचारी को उस अधिनियम या किसी विधि के अधीन, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बोर्ड के कृत्य

(1) बोर्ड-

- (i) मसालों के निर्यात का विकास, संवर्धन और विनियमन कर सकेगा;
- (ii) मसालों के निर्यात के लिए प्रमाणपत्र दे सकेगा और इसके लिए दलालों को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा।
- (iii) मसालों के निर्यात के संवर्धन के लिए कार्यक्रम और परियोजनाएं प्रारम्भ कर सकेगा;
- (iv) मसालों के प्रसंस्करण, क्वालिटी, श्रेणीकरण के तकनीक और पैकिंग में सुधार के लिए अध्ययन और अनुसंधान में सहायता दे सकेगा और उसका प्रोत्साहन कर सकेगा;
- (v) निर्यात के लिए मसालों की कीमतों के स्थिरीकरण के लिए प्रयास कर सकेगा;
- (vi) निर्यात के लिए मसालों के लिए उपयुक्त क्वालिटी मापमान विकसित कर सकेगा और 'क्वालिटी चिह्न' के माध्यम से क्वालिटी का प्रमाणन प्रारम्भ कर सकेगा।
- (vii) निर्यात के लिए मसालों की क्वालिटी का नियंत्रण कर सकेगा;
- (viii) निर्यात के लिए मसालों के विनिर्माताओं को, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, अनुज्ञप्तियाँ दे सकेगा;
- (ix) यदि वह निर्यात के संवर्धन के हित में आवश्यक समझे तो किसी मसाले का विपणन कर सकेगा;
- (x) मसालों के लिए विदेशों में भण्डारकरण की सुविधाओं की व्यवस्था कर सकेगा;
- (xi) संकलन और प्रकाशन के लिए मसालों के बारे में आँकड़ों का संग्रह कर सकेगा।

- (xii) विक्रय के लिए किसी मसाले का केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से आयात कर सकेगा; और
- (xiii) मसालों के आयात और निर्यात से संबंधित किसी विषय पर केन्द्रीय सरकार को सलाह दे सकेगा।

(2) बोर्ड:-

- (i) इलायची उगाने वालों के बीच सहकारिता प्रयासों को बढ़ावा भी दे सकेगा;
- (ii) इलायची उगाने वालों के लिए लाभप्रद प्रत्यागम भी सुनिश्चित कर सकेगा;
- (iii) इलायची की खेती और प्रसंस्करण के उन्नत तकनीकों के लिए इलायची के पुनः रोपण के लिए और इलायची उगाने के क्षेत्रों के विस्तार के लिए वित्तीय या अन्य सहायता की व्यवस्था भी कर सकेगा;
- (iv) इलायची के विक्रय और इलायची की कीमतों के स्थिरीकरण का भी विनियमन कर सकेगा;
- (v) इलायची के परीक्षण और इलायची के श्रेणीमानदण्ड नियत करने में प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कर सकेगा;
- (vi) इलायची के उपभोग में वृद्धि और उस प्रयोजन के लिए प्रचार भी कर सकेगा;
- (vii) इलायची के दलालों को (जिनके अन्तर्गत नीलामकर्ता हैं) और इलायची के कारबार में लगे व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकृत और अनुज्ञप्त भी कर सकेगा;
- (viii) इलायची के विपणन में वृद्धि भी कर सकेगा;
- (ix) उगाने वालों, व्यवहारियों और अन्य व्यक्तियों से जो विहित किए जाए, इलायची उद्योग से संबंधित किसी विषय पर आंकड़ों का संग्रह कर सकेगा; ऐसे संगृहीत आंकड़ों या उनके भागों या उनसे उद्धरणों का प्रकाशन भी कर सकेगा;
- (x) कर्मचारियों के लिए अधिक अच्छी कार्यकारी दशाओं और सुविधाओं की व्यवस्था तथा प्रोत्साहन को भी सुनिश्चित कर सकेगा; और
- (xi) वैज्ञानिक, तकनीक और आर्थिक अनुसंधान आरम्भ कर सकेगा, उसमें सहायता या प्रोत्साहन भी दे सकेगा।

अध्याय 3

इलायची सम्पदा के स्वामियों का रजिस्ट्रीकरण

- इलायची
संपदा के
स्वामियों का
रजिस्ट्रीकरण
8. (1) इलायची के पौधों से रोपित भूमि का प्रत्येक स्वामी, चाहे ऐसी भूमि एक सम्पदा में या एक से अधिक सम्पदा में हो, उस तारीख से एक मास के अवसान के पूर्व, जिसको वह पहली बार ऐसी सम्पदा या सम्पदाओं का स्वामी होता है, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को, उसके द्वारा स्वामित्व में रखी गई प्रत्येक संपदा के बारे में स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए आवेदन करेगा:

- नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति
- परन्तु राज्य सरकार पर्याप्त कारणों से रजिस्ट्रीकरण के लिए समय परिसीमा का ऐसी अवधि के लिए विस्तार कर सकेगी जो वह ठीक समझे।
- (2) एक बार किया गया रजिस्ट्रीकरण तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि वह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है।
9. (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा धारा 8 के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम रजिस्ट्रीकरण के लिए और रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने वाली विशिष्टियों, रजिस्ट्रीकरण के अनुदान और रद्दकरण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्ट्रों और रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा बोर्ड को जानकारी प्रदान करने के बारे में विहित कर सकेंगे।
- रजिस्ट्रीकृत स्वामियों द्वारा दी जाने वाली विवरणियाँ
- 10.(1) रजिस्ट्रीकृत स्वामी बोर्ड को ऐसे प्ररूप में, और ऐसे समयों पर और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, विवरणियाँ देगा।
- (2) बोर्ड इस धारा के अधीन दी गई किसी विवरणी की शुद्धता के सत्यापन के लिए या सम्पदा की उत्पादन क्षमता को अभिनिश्चित करने के लिए किसी समय किसी सम्पदा के निरीक्षण के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।

अध्याय 4

मसालों के निर्यात के लिए प्रमाणपत्र

11. इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् कोई व्यक्ति किसी मसाले के निर्यात का कारबार प्रमाणपत्र के अधीन और उसके अनुसार ही प्रारम्भ करेगा, अन्यथा नहीं:
- किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणपत्र के बिना मसालों का निर्यात न किया जाना
- परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व मसालों के निर्यात का कारबार करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ से तीन मास की अवधि तक, और यदि उसने उक्त तीन मास की कालावधि के भीतर ऐसे प्रमाणपत्र के लिए कोई आवेदन किया है तो ऐसे आवेदन के निपटाए जाने तक, ऐसा करता रहेगा।
- स्पष्टीकरण:** इस धारा में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रतिनिर्देश की धारा 2 के खण्ड (ढ) के परन्तुक के अधीन अधिसूचना द्वारा अनुसूची में जोड़े गये किसी मसाले के सम्बन्ध में उस तारीख के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा जिससे ऐसा मसाला अनुसूची में जोड़ा गया है।
- प्रमाणपत्र का दिया जाना
- 12.(1) प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए कोई आवेदन बोर्ड को ऐसे प्ररूप में किया जाएगा और उसमें ऐसी विशिष्टियाँ होंगी जो विहित की जाए और उसके साथ विहित फीस के संदाय के साक्ष्यस्वरूप रसीद होगी।

(2) ऐसे आवेदन की प्राप्ति बोर्ड:-

(क) यदि आवेदन विहित प्ररूप में नहीं है या उसके साथ कोई विहित विशिष्टियां नहीं हैं तो आवेदन आवेदक को लौटा देगा; या

(ख) यदि आवेदन विहित प्ररूप में है और उसके साथ विहित विशिष्टियां हैं तो प्रमाणपत्र ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए देगा, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए।

13. (1) बोर्ड किसी प्रमाणपत्र को निम्नलिखित एक या अधिक आधारों पर रद्द कर सकेगा, अर्थात्:-

प्रमाणपत्र का
रद्दकरण,
निलम्बन, आदि

(क) प्रमाणपत्र के धारक ने प्रमाणपत्र के किसी निबन्धन या शर्त का उल्लंघन किया है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार की राय में लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रमाणपत्र रद्द किया जाए।

(2) जहाँ बोर्ड का, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) में वर्णित किसी आधार पर प्रमाणपत्र के रद्दकरण के प्रश्न पर विचार किया जाना लम्बित होने तक ऐसा करना आवश्यक है, तो बोर्ड लिखित आदेश द्वारा प्रमाणपत्र का प्रवर्तन पैंतालीस दिन से अनधिक ऐसी कालावधि के लिए निलम्बित कर सकेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए और प्रमाणपत्र के धारक से, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा कर सकेगा कि इस प्रश्न का अवधारण किए जाने तक कि रजिस्ट्रीकरण को रद्द किया जाना चाहिए या नहीं, प्रमाणपत्र के निलम्बन को विस्तारित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को ऐसे रद्दकरण के आधारों के बारे में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

अपील

14. (1) धारा 13 के अधीन किसी आदेश से कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार की कोई अपील ऐसी कालावधि के भीतर कर सकेगा जो विहित की जाए।

(2) कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी यदि वह उसके लिए विहित कालावधि के अवसान के पश्चात् की जाती है।

परन्तु कोई अपील उसके लिए विहित कालावधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी केन्द्रीय सरकार का यह समाधान कर देता है कि उसके पास विहित कालावधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था।

- (3) इस धारा के अधीन की गयी प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में की जाएगी और उसके साथ उस आदेश की प्रति होगी जिसके विरुद्ध अपील की गयी है और ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए।
- (4) किसी अपील के निपटारे की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए परन्तु किसी अपील का निपटारा करने के पूर्व अपीलार्थी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।
- (5) केन्द्रीय सरकार उस आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट कर सकेगी, सशोधित था उपान्तरित कर सकेगी।

प्रमाणपत्र के बिना निर्यात को अनुज्ञा देने की शक्ति

केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, किसी निकाय या अन्य अभिकरण को प्रमाणपत्र के बिना मसालों के निर्यात का कारबार प्रारम्भ करने या करते रहने की अनुज्ञा दे सकेगी।

अध्याय 5

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण

इलायची की कीमत और वितरण का नियंत्रण करने की शक्ति

6. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किसी वर्णन की इलायची के बारे में,
 - (क) वह अधिकतम कीमत या न्यूनतम कीमत, या अधिकतम और न्यूनतम कीमतें नियत कर सकेगी जो इलायची को उगाने वाले द्वारा अथवा थोक या खुदरा इलायची व्यवहारी द्वारा, चाहे भारतीय बाजार के लिए या निर्यात के लिए, प्रभारित की जा सकेगी;
 - (ख) वह अधिकतम मात्रा नियत कर सकेगी जिसका एक ही संव्यवहार में किसी व्यक्ति को विक्रय किया जा सकेगा।
- (2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसके अधीन निकाला गया कोई आदेश-
 - (क) उन व्यक्तियों से, जो इलायची के उत्पादन, प्रदाय या वितरण अथवा व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए हैं, यह अपेक्षा करने का उपबन्ध कर सकेगा कि वे अपने कारबार में सम्बन्धित ऐसी बहियां, लेखे और अभिलेख रखें और निरीक्षण के लिए पेश करें तथा उनसे सम्बन्धित ऐसी जानकारी दें, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए; और
 - (ख) ऐसे अन्य विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेगा जिनके अन्तर्गत विशिष्टतया परिसरों, यानों, जलयानों और विमानों में प्रवेश करना और उनकी तलाशी लेना तथा उस व्यक्ति द्वारा जो

ऐसी तलाशी के लिए प्राधिकृत हैं, उस इलायची का जिसके बारे में ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि आदेश का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किए जाने वाला है, अधिग्रहण करना है।

17. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इलायची का आयात या निर्यात चाहे साधारणतया इलायची के आयात का प्रतिषेध या नियंत्रण करने की शक्ति या विनिर्दिष्ट वर्गों के मामलों में, प्रतिषिद्ध, निर्बन्धित या अन्यथा नियंत्रित करने के लिए उपबन्ध कर सकेगी।

18. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड इस अधिनियम के निदेश देने को अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों से आबद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर उसे लिखित रूप में दे:-

केन्द्रीय सरकार की शक्ति

परन्तु बोर्ड को, इस उपधारा के अधीन दिए गए किसी निदेश के पूर्व अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने का यथासाध्य अवसर दिया जाएगा।

(2) कोई प्रश्न नीति का है या नहीं इस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

19. (1) यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि-

केन्द्रीय सरकार की बोर्ड को अतिष्ठित करने की शक्ति

(क) गम्भीर आपात के कारण बोर्ड इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है; या

(ख) बोर्ड ने इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए किसी निदेश का पालन करने में या इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन, उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में बार बार व्यतिक्रम किया है और ऐसे व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप बोर्ड की वित्तीय स्थिति में या बोर्ड के प्रशासन में गिरावट आई हैं; या

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें ऐसा करना लोकहित में आवश्यक हो गया है, तो केन्द्रीय सरकार बोर्ड को, छह मास से अनधिक ऐसी कालावधि के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अतिष्ठित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड को अतिष्ठित करने वाली किसी अधिसूचना के प्रकाशन पर, -

(क) सभी सदस्य, अतिष्ठित किए जाने की तारीख से, ऐसे सदस्य के रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन प्रयोग या निर्वहन बोर्ड द्वारा या उसके निमित्त किया जा सकता है, जब तक कि

उपधारा (3) के अधीन बोर्ड का पुनर्गठन नहीं किया जाता है, प्रयोग और निर्वहन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश दें; और

(ग) बोर्ड के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सभी सम्पत्ति, जब तक उपधारा (3) के अधीन बोर्ड का पुनर्गठन नहीं किया जाता है, केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठित किए जाने की कालावधि के अवसान पर केन्द्रीय सरकार नई नियुक्ति द्वारा बोर्ड का पुनर्गठन कर सकेगी और ऐसी दशा में ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन अपना पद रिक्त किया है, नियुक्ति के लिए निरहित नहीं समझे जाएंगे;

परन्तु केन्द्रीय सरकार अतिष्ठित किए जाने की कालावधि के अवसान के पूर्व किसी समय इस उपधारा के अधीन कार्रवाई कर सकेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई और उन परिस्थितियों की, जिनके कारण ऐसी कार्रवाई की गई, पूरी रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखेंगी।

अध्याय 6

वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार

20. केन्द्रीय सरकार संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात् बोर्ड को अनुदानों और उधारों के रूप में उतनी धनराशियों का संदाय कर सकेगी, जितनी वह सरकार आवश्यक समझे।

बोर्ड की निधि

21. (1) मसाला बोर्ड निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे-

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को धारा 20 के अधीन दिए गए कोई अनुदान और उधार;

(ख) इस अधिनियम के अधीन दिए गए प्रमाणपत्रों के संबंध में उद्गृहीत और संगृहीत सभी फीस; और

(ग) ऐसे अन्य स्रोतों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाए, बोर्ड को प्राप्त सभी राशियाँ

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित का वहन करने के लिए किया जाएगा-

(क) बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;

(ख) धारा 7 के अधीन बोर्ड के कृत्यों का निर्वहन करने में बोर्ड के खर्च, और

(ग) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए खर्च

22. बजट बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा जिसमें बोर्ड की प्राकलित प्राप्तियां और व्यय दर्शाए जाएंगे और उसे केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।
23. वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का पूरा लेखा दिया जाएगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।
24. लेखा और लेखा परीक्षा बोर्ड के लेखे ऐसी रीति से तैयार किए जाएंगे और रखे जाएंगे जो भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित की जाए और बोर्ड ऐसी तारीख के पूर्व, जो विहित की जाए, अपने लेखाओं की लेखापरीक्षित प्रति उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को देगा।
25. वार्षिक रिपोर्ट का संसद् के समक्ष रखा जाना केन्द्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को उनकी प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

26. मिथ्या विवरणियां देने के लिए शास्ति जो कोई व्यक्ति जिससे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसी विवरणी देने में असफल रहेगा या ऐसी विवरणी देगा जिसमें कोई विशिष्ट मिथ्या है और जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
27. जो कोई व्यक्ति-
- (क) बोर्ड के किसी अधिकारी या सदस्य को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने के लिए तथा बहियों और लेखाओं को पेश करने में असफलता के लिए शास्तियां अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी सदस्य को या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उनके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग या अधिरोपित किसी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालेगा; या
- (ख) इस बात के होते हुए कि कोई लेखा वही या अन्य अभिलेख उसके नियंत्रण या अभिरक्षा में है, ऐसी वही या अभिलेख को तब पेश करने में असफल रहेगा जब उससे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है,

वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

28. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 16 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा; और वह सम्पत्ति जिसकी बाबत आदेश का उल्लंघन किया गया है, या उसका उतना भाग जो न्यायालय ठीक समझे, केन्द्रीय सरकार को समपहत हो जाएगा।
- कोमत आदि के नियंत्रण से संबंधित आदेश के उल्लंघन के लिए शास्तियां
- (2) जो कोई व्यक्ति धारा 16 के अधीन किसी आदेश का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस आदेश का उल्लंघन किया है।
29. यदि कोई व्यक्ति धारा 11 के उपबन्धों का या धारा 17 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा वह, ऐसी किसी समपहरण या शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसके लिए वह सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के उपबन्धों के अधीन दायी हो, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
- 1962 का अधिनियम 52 की धारा 11 या धारा 17 के अधीक
30. जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के उपबन्धों की, जो उन उपबन्धों से भिन्न है, जिनके उल्लंघन के लिए धारा 26, धारा 27, धारा 28 और धारा 29 में दण्ड का उपबन्ध किया गया है, उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, और जारी रहने वाले उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है, पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- अन्य शास्तियां
31. (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, जहाँ प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी या और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे।
- कंपनियों द्वारा अपराध
- परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी जो यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।
- (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध को किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक,

सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(क) 'कंपनी' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है, तथा

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

32.(क) ऐसे सभी मसालों के बारे में, जिनको इस अधिनियम की धारा 11 लागू होती है, और

1962 के अधिनियम 52 के उपबंधों का मसालों के निर्यात और इलायची के आयात को लागू होना-

(ख) ऐसी इलायची के बारे में, जिसको इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन कोई आदेश लागू होता है,

यह समझा जाएगा कि वह ऐसा माल है जिसका आयात या निर्यात सीमा-शुल्क अधिनियम, की धारा के अधीन प्रतिषिद्ध या निर्बंधित किया गया है और उस अधिनियम के सभी उपबन्ध तदनुसार प्रभावी होंगे।

केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी-

33. इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से ही संस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

प्रत्यायोजन

34. बोर्ड, लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (धारा 39 के अधीन शक्ति को छोड़कर) जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना - 1960 का अधिनियम 45

35. बोर्ड के सभी सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी जब वे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कृत्य कर रहे हों या उनका कृत्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दंड संहिता (1960 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण-

36. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार या बोर्ड या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति अथवा बोर्ड या ऐसी समिति के किसी सदस्य अथवा सरकार या बोर्ड के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा सरकार या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

प्रवेश करने की शक्ति

37. इस निमित्त बनाए गए किसी नियम के अधीन रहते हुए बोर्ड द्वारा इस निमित्त साधारणतया या विशिष्टतया प्राधिकृत कोई व्यक्ति जब भी इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकेगा और कोई निरीक्षण या जांच अथवा ऐसा अन्य कार्य या बात कर सकेगा जो विहित की जाए:

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति किसी भवन या किसी परिवेष्टित अहाते, निवासगृह से संलग्न किसी उद्यान में (उसके अधिभोगी की सम्मति से ही) ऐसे अधिभोगों को ऐसा करने के अपने आशय को कम से कम चौबीस घंटे की लिखित पूर्व सूचना देकर ही प्रवेश करेगा, अन्यथा नहीं।

38. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।
- नियम बनाने की शक्ति
- (2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों में से सभी या किन्हीं के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:-
- (क) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के सदस्यों की संख्या;
 - (ख) धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें;
 - (ग) धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य;
 - (घ) धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उपाध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य;
 - (ङ.) धारा 5 के अधीन समितियों का गठन;
 - (च) धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (viii) के अधीन निर्यात के लिए मसालों के विनिर्माताओं को अनुज्ञप्तियाँ देने के लिए निबंधन और शर्तें;
 - (छ) वह प्ररूप और रीति जिसमें और वह समय जिस पर रजिस्ट्रीकृत स्वामी धारा 10 के अधीन बोर्ड को विवरणियां भेज सकेगा;
 - (ज) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप और फीस;
 - (झ) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अपील के लिए परिसीमा अवधि;
 - (ञ) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन अपील का प्ररूप और संदेय फीस;
 - (ट) धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन अपील को निपटाने के लिए प्रक्रिया;
 - (ठ) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जब बोर्ड की धारा 22 के अधीन अपना बजट और धारा 23 के अधीन अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा;
 - (ड) वह रीति जिससे बोर्ड के लेखे रखे जाएंगे और संपरीक्षित किए जाएंगे तथा वह तारीख जिसके पूर्व लेखाओं की लेखापरीक्षित प्रति धारा 24 के अधीन केन्द्रीय सरकार को भेजी जा सकेगी;

- (ढ) धारा 37 के अधीन प्रवेश के लिए शक्ति के प्रयोग के बारे में शर्तें और निबन्धन;
- (ण) कोई अन्य विषय जो नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके बारे में उपबंध किया जाना है या उपबंध किया जाए।

39. (1) बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के विनियम बनाने की शक्ति प्रयोजनों को साधारणतया कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम और नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित में से सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-

- (क) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें; और
- (ख) वे निबन्धन और शर्तें जिनके अधीन धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा।

40. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

41. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और
व्यावृत्ति

42.(1) इलायची अधिनियम, 1965की धारा 3 की धारा 33 तक निरसित की जाती है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई जहां तक ऐसी बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वैसे ही की गई समझी जाएगी मानो उक्त उपबंध उस समय प्रवृत्त थे जब ऐसी बात या ऐसी कार्रवाई की गई थी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित न कर दिए जाएं।

अनुसूची

(धारा 2 (ढ) देखिए)

| | | | |
|-----|---------------|-----|---------------|
| 1. | इलायची | 27. | पीपला |
| 2. | काली मिर्च | 28. | स्टार एनीज |
| 3. | मिर्च | 29. | स्वीट फ्लैग |
| 4. | अदरक | 30. | महागेलेंजा |
| 5. | हल्दी | 31. | हार्स - रेडिश |
| 6. | धनिया | 32. | केपर |
| 7. | जीरा | 33. | लौंग |
| 8. | बड़ी सौंफ | 34. | हींग |
| 9. | मेथी | 35. | केम्बोज |
| 10. | अजवाइन | 36. | हिस्सप |
| 11. | सौंफ | 37. | जूनिपर बेरी |
| 12. | मसाले का पौधा | 38. | बे - पत्ता |
| 13. | काला जीरा | 39. | लूवेज |
| 14. | सोआ | 40. | मर्जोरम |
| 15. | दालचीनी | 41. | जायफल |
| 16. | कैसिया | 42. | मेस |
| 17. | लहसुन | 43. | तुलसी |
| 18. | करीपत्ता | 44. | खसखस |
| 19. | कोकम | 45. | आलस्पाइस |
| 20. | पुदीना | 46. | रोजमेरी |
| 21. | सरसों | 47. | सेज |
| 22. | अजमोद | 48. | सेवरी |
| 23. | अनारदाना | 49. | थाइम |
| 24. | केसर | 50. | ओरगेनो |
| 25. | वैनिला | 51. | टेरागन |
| 26. | तेजपात | 52. | इमली |

जो किसी भी रूप में हों और इनके अन्तर्गत करी चूर्ण, मसालातेल, ओलियोरेजिन और अन्य मिश्रण भी हैं जिनमें मसाला अंश प्रमुख हो।

क्रम सं. 27 से 52 दिनांक 8.11.1990 की अधिसूचना एस. ओ. सं. 3130 के अनुसार जोड़ दी गई है।

मसाला बोर्ड नियम, 1987

सा. का. नि. 115 (अ) - मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मसाला बोर्ड नियम, 1987 है।

(2) * ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) “अधिनियम” से मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 (1986 का 10) अभिप्रेत है;

(ख) “बोर्ड” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित मसाला बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) “समिति” से धारा 5 के अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई कोई समिति अभिप्रेत है;

(घ) “प्ररूप” से इन नियमों में दिया गया प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ.) “सचिव” से धारा 4 के अधीन नियुक्त बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है;

(च) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(छ) “उपाध्यक्ष” से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ज) “वर्ष” से एक अप्रैल से प्रारम्भ होनेवाला वर्ष अभिप्रेत है;

(झ) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं; किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उनके उसमें हैं;

3. बोर्ड का कार्यालय-

बोर्ड का कार्यालय कोचिन, केरल राज्य में होगा।

* मसाला बोर्ड नियम 1987 भारत के असाधारण राजपत्र फरवरी 26, 1987 में भाग II खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित है।

अध्याय II

बोर्ड और उसकी समितियाँ

4. बोर्ड का गठन और सदस्यों में से रिक्तियों को भरे जाने की रीति-

(1) बोर्ड की संरचना निम्नलिखित होगी, अर्थात्:-

- (क) अध्यक्ष,
- (ख) संसद् के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे और एक राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा;
- (ग) तीन सदस्य जो, केन्द्रीय सरकार के-
 - (i) वाणिज्य;
 - (ii) कृषि; और
 - (iii) वित्त;

के बारे में कार्यवाहियां करने वाले मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे;

- (घ) *सात सदस्य जो मसालों के उगाने वालों का प्रतिनिधित्व करेंगे;
- (ङ.) *दस सदस्य जो मसालों के निर्यातकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- (च) **तीन सदस्य, जो मसाले उगानेवाले प्रमुख राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे;
- (छ) चार सदस्य जिनमें से एक एक सदस्य प्रतिनिधित्व करेगा,
 - (i) ***योजना आयोग;
 - (ii) भारतीय पैकेज संस्थान, मुम्बई;
 - (iii) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, मैसूर;
 - (iv) ***मसालों के राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्र, कालिकट।
- (ज) एक सदस्य जो मसालों के श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा।

* भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं जी. एस. आर 74 (ई) दिनांक 15 फरवरी 1990 द्वारा संशोधित।

** भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं 661 (ई) दिनांक 17 जुलाई 1987 द्वारा संशोधित।

*** भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी. एस. आर 74 (ई) दिनांक : 15 फरवरी 1990 द्वारा संशोधित।

- (1) क, * अध्यक्ष भारत सरकार के संयुक्त सचिव की श्रेणी का व्यक्ति होगा और उसकी नियुक्ति भारत सरकार के गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्थापन अधिकारी के परामर्श से की जाएगी।
- (2) केन्द्रीय सरकार, खंड (घ) से खंड (ज) तक विनिर्दिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करनेवाले प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने से पूर्व ऐसा परामर्श कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

5. **सदस्यों की पदावधि-

1. इसके बाद की अवस्था को छोड़कर, बोर्ड का एक सदस्य अपना पद उस अवधि तक संभालेगा जो तीन साल से अधिक न हो, तथा उसकी नियुक्ति की उस तिथि से है, और जो उसको नियुक्त करते हुए अधिसूचित किया गया है।

यह भी उपबन्ध है कि एक सदस्य जिन्हें चुना या नियुक्त है जो नियम (4) के अधीन उपनियम (1) में है तब से सदस्यता नहीं रखेगा जब तक कि उन्हें निम्नलिखित में सदस्यता नहीं है।

- (i) संसद के सदस्य चुने जाने से ही वे एक सदस्य के रूप में नियुक्त है।
- (ii) जिस पद के लिए नियुक्त है और जब तक उस पद पर है।
- (iii) एक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करना जिसके लिए वे चुने गए हैं।

2. एक सदस्य जिन्हें एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना या नियुक्त किया गया था, तब तक उसी पद पर रहेंगे जब तक रिक्ति न हुई होती तो वे सदस्य जारी रहने के लिए हकदार हुए होते जिनके स्थान पर यह नियुक्ति की गयी है।
3. ****"केन्द्रीय सरकार बोर्ड के एक सदस्य को पुनः नियुक्त करें जो दो पदावधियों से अधिक न हो"।

6. सदस्यता नामावली -

सचिव सदस्यों के नामों और उनके पतों का अभिलेख रखेगा।

7. पते में परिवर्तन-

कोई सदस्य, सचिव को अपने पते में हुए परिवर्तन को शीघ्रता से सूचित करेगा। यदि वह पते में परिवर्तन को सूचित करने में असफल रहता है, तो शासकीय अभिलेख में दिया गया पता सभी प्रयोजनों के लिए उसका पता समझा जाएगा।

* भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 397 दिनांक 29 जून 1990 के अनुसार संशोधित।

** भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं 661 (ई) दिनांक 17 जुलाई 1987 द्वारा संशोधित।

*** सरकारी अधिसूचना जी एस आर 340 (ई) दिनांक 29.3.1993 द्वारा संशोधित

8. पदत्याग-

- (1) कोई सदस्य अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा।
- (2) समिति के सदस्य का पद उस तारीख से जिसको ऐसे सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है या अध्यक्ष द्वारा उसके त्यागपत्र की सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, रिक्त हो जाएगा।
- (3) अध्यक्ष, बोर्ड को उसके आगामी अधिवेशन में, सदस्य के त्यागपत्र की स्वीकृति की सूचना देगा।

9. सदस्य का हटाया जाना-

केन्द्रीय सरकार, किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी:-

- (क) यदि वह विकृतचित्त है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है; या
- (ख) यदि वह अनुमोचित दिवालिया है; या
- (ग) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जा चुका है जिसमें नैतिक अतामात अन्तर्ग्रस्त है; या
- (घ) यदि वह अध्यक्ष की इजाजत के बिना बोर्ड के लगातार तीन अधिवेशनों में अनुपस्थित रहा है।
- (ङ.) यदि वह बोर्ड को किन्हीं शोथों का संदाय करने में व्यतिक्रम करता है और बोर्ड द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।

10. उपाध्यक्ष-

- (1) बोर्ड, प्रत्येक वर्ष अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उसके निर्वाचित होने की तारीख से आरम्भ होने वाले बारह मास की अवधि के लिए या यदि निर्वाचन विद्यमान उपाध्यक्ष की पदावधि की समाप्ति से पूर्व किया गया है तो उस तारीख से जिसको ऐसा अध्यक्ष अपना पद रिक्त करता है, बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगा।
- (2) यदि उपाध्यक्ष के उस रूप में अपना पद त्याग कर दिया है या बोर्ड का सदस्य नहीं रह जाता है, तो बोर्ड अपने आगामी अधिवेशन में, उपनियम (1) के अधीन उपाध्यक्ष की पदावधि के अनवसीत भाग के लिए, किसी अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगा।
- (3) यदि, निर्वाचन, बारह मास की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो विद्यमान उपाध्यक्ष तब तक पद धारण करेगा जब तक निर्वाचन नहीं हो जाता है।

11. समितियों की नियुक्ति-

- (1) धारा 5 के अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई समितियां या तो कार्यपालक या सलाहकार समितियां होंगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगी और बोर्ड के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो बोर्ड द्वारा अधिनियम और इन नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुरूप बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाएं।

(2) बोर्ड, प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित स्थाई समितियां, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कृत्य का निर्वहन करने के लिए जो उन्हें इन नियमों के अधिन सौंपे जाएं, नियुक्त करेगा, अर्थात्:-

(i) **कार्यपालक समिति:-**

इस समिति में निम्नलिखित होंगे:-

- (क) बोर्ड का अध्यक्ष जो समिति का पदेन अध्यक्ष होगा;
- (ख) उपाध्यक्ष;
- (ग) * एक सदस्य जिसे बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष चक्रानुक्रम से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा, जो नियम 4 के उपनियम (1) की धारा (च) के अधीन नियुक्त है।
- (घ) वित्त से संबंधित कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य;
- (ङ.) सचिव;
- (च) नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) में बताए गए सदस्यों में से निर्वाचित किए जाने वाला एक सदस्य
- (छ) नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (ङ.) में बताए गए सदस्यों में से निर्वाचित किए जाने वाला एक सदस्य

(ii) **इलायची के लिए अनुसंधान और विकास समिति:-**

इस समिति में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

- (क) बोर्ड का अध्यक्ष जो समिति का पदेन अध्यक्ष होगा;
- (ख) उपाध्यक्ष;
- (ग) ** एक सदस्य जिसे बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष चक्रानुक्रम से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा जो नियम 4 के उपनियम (1) की धारा (च) के अधीन नियुक्त है।
- (घ) कृषि से संबंधित कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य
- (ङ.) इलेटरिया इलायची मेटोन उगाने वालों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य;
- (च) एमोमम सुबोलेटम रोक्सब उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य;
- (छ) ***मसालों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, कालिकट।
- (ज) इलायची अनुसंधान के भारसाधक बोर्ड का अधिकारी।
- (झ) इलायची विकास के भारसाधक बोर्ड का अधिकारी।

* भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी. एस. आर 661 (ई) दिनांक 17 जुलाई 1987 द्वारा संशोधित।

** भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी. एस. आर 503 (ई) दिनांक 2 मई 1989 द्वारा संशोधित।

*** भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी. एस. आर 74 (ई) दिनांक 15 फरवरी 1990 द्वारा संशोधित

(ज) * नियम 4 का उपनियम (1) की धारा (ई) में बताये सदस्यों में से एक सदस्य।

(iii) **मसालों के लिए बाज़ार विकास समिति:-**

इस समिति में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

- (क) बोर्ड का अध्यक्ष जो समिति का पदेन अध्यक्ष होगा;
- (ख) उपाध्यक्ष;
- (ग) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर का निदेशक;
- (घ) वाणिज्य से संबंधित कार्य करने वाला केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य;
- (ङ.) व्यवसाय के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य, जिनकी नियुक्ति बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से की जाएगी;
- (च) बोर्ड द्वारा नियुक्त भारतीय निर्यात निरीक्षण अभिकरण का एक अधिकारी;
- (छ) मसाला बाजार विकास के संबंध में कार्य करने वाले बोर्ड का अधिकारी;
- (ज) ** नियम 4 के उपनियम (1) की धारा (घ) में बताये सदस्यों से दो सदस्य।

(3) बोर्ड समय समय पर ऐसी अन्य समितियां नियुक्त कर सकेगा जो आवश्यक समझी जाए।

(4) बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी समिति का अध्यक्ष, बोर्ड के किसी अधिकारी या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से समिति के ऐसे अधिवेशनों में भाग लेने की अपेक्षा कर सकेगा, किन्तु ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को मत देने की शक्ति नहीं होगी।

12. समितियों के कृत्य-

(क) कार्यपालक समिति :

यह समिति निम्नलिखित कृत्यों का प्रयोग करेगी।

- (i) ऐसे प्रशासनिक विषय जो बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित किए जाए;
- (ii) व्यवसायियों और निर्यातकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण, सम्पदाओं, फार्मों, बागानों, प्रसंस्करण यूनिटों के रजिस्ट्रीकृत स्वामियों द्वारा तैयार की जाने वाली विवरणियों की परीक्षा और स्वीकृति; उनकी इस प्रकार संगृहित आँकड़ों या उनके किसी भाग या उनकी संक्षिप्तियों का प्रकाशन।
- (iii) कोई अन्य कृत्य जो बोर्ड द्वारा सौंपा जाए।

* भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. 503 (ई) दिनांक 2 मई 1989 द्वारा संशोधित

** भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय अधिसूचना सं. जी. एस. आर 503 (ई) दिनांक 2 मई 1989 द्वारा संशोधित जो शुद्धिपत्र सं. जी. एस. आर 47 दिनांक : 5 जनवरी 1990 के साथ पठित।

(ख) इलायची के लिए अनुसंधान और विकास समिति

यह समिति निम्नलिखित कृत्यों का प्रयोग करेगी; अर्थात्:-

- (i) इलायची के विकास के लिए परियोजनाएं बनाना;
- (ii) विकास परियोजनाओं के क्रियान्वित किए जाने का पुनर्विलोकन;
- (iii) बोर्ड द्वारा अनुसंधान कार्य किए जाने के लिए पूर्विक्ता देना;
- (iv) अनुसंधान की प्रगति का पुनर्विलोकन;
- (v) बोर्ड द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कृत्य।

(ग) मसालों के लिए बाजार विकास समिति

यह समिति निम्नलिखित कृत्यों का प्रयोग करेगी, अर्थात्:

- (i) मसालों के नीलाम को मानीटर करना;
- (ii) आन्तरिक बाजारों में और निर्यात के लिए बाजार विकास के लिए परियोजनाएं बनाना;
- (iii) मसाले के संबंधित बाजारों की शर्तों का पुनर्विलोकन;
- (iv) मसाले के विपणन को कारगर बनाने के लिए बोर्ड को ऐसे विषयों की बाबत सिफारिश करना जो आवश्यक हों;
- (v) बोर्ड द्वारा सौंपे गए अन्य कृत्य।

13. विशेष समितियों के गठन के लिए उपबंध-

बोर्ड अपने कृत्यों से संबंधित विशिष्ट कार्य को हाथ में लेने के लिए विशेष समिति स्थापित कर सकेगा और ऐसी समिति के लिए सदस्यों की नियुक्ति, जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है, नियुक्त कर सकेगा।

अध्याय III

अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य

14. अध्यक्ष की शक्ति और कर्तव्य-

अध्यक्ष को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी और उसके निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात्:-

- (i) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की, जिनमें सचिव भी सम्मिलित है छुट्टी मंजूर करने की;
- (ii) बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारीवृन्द के कर्तव्य विहित करना और ऐसे पर्यवेक्षण और अनुशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करना जो आवश्यक हों;
- (iii) आकस्मिकताओं, प्रदायों और सेवाओं के लिए व्यय मंजूर करना और बोर्ड के कार्यालय के कार्यकरण के लिए अपेक्षित वस्तुओं के क्रय के लिए मंजूरी देना;
- (iv) बोर्ड या उसकी किसी समिति से अपेक्षा करने की वह यथास्थिति, बोर्ड या समिति द्वारा किए गए किसी विनिश्चय के अनुसार में कार्यवाही, ऐसे विनिश्चय पर केन्द्रीय सरकार की किए गए निर्देश तक लंबित रहने तक, आस्थगित कर दे;
- (v) ऐसे विषयों की बाबत विनिश्चय करना जिसकी, यथास्थिति बोर्ड या समिति द्वारा निपटाए जाने के लिए प्रतीक्षा नहीं का जा सकती है। अध्यक्ष द्वारा की गई कार्यवाही को बोर्ड के समक्ष उसके आगामी अधिवेशन में कार्योंत्तर अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

परन्तु जहाँ अध्यक्ष द्वारा किए गए विनिश्चय को बोर्ड उपांतरित कर देता है या प्रतिवर्तन कर देता है, तो ऐसे उपांतरण या प्रतिवर्तन, ऐसे उपांतरण या प्रतिवर्तन के पूर्व की गई किसी कार्यवाही की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

अध्याय IV रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

15. प्रमाणपत्र के लिए आवेदन-

- (1) धारा 12 के अधीन प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए आवेदन प्ररूप - 1 में बोर्ड को किया जाएगा।
- (2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ 31 अगस्त को या उससे पहले समाप्त होनेवाली तीन सालों की खण्ड अवधि के लिए 1दो हजार रुपए की फीस के संदाय के लिए साक्ष्य के रूप में एक रसीद होगी। उक्त अवधि के लिए नवीकरण फीस एक हजार रुपए होंगी।

15 (अ) 1 मसालों का कोई ऐसा निर्यातकर्ता जिसका अपना अथवा किराए या पट्टे पर लिया गया परिसर है जिसमें इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची में दी गई सफाई, श्रेणीकरण, भंडागारण और पैकिंग सुविधाएं हैं मसाला घर प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए बोर्ड को प्ररूप VI में आवेदन कर सकेगा। बोर्ड, स्वामित्वाधीन या तीन वर्ष से अन्यून अवधि के लिए किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसर में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में अपना समाधान हो जाने पर प्ररूप VII में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा। किसी भी समय निरीक्षण पर यदि यह पाया जाता है कि निर्यातकर्ता के पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं तो जारी किया गया मसाला घर प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा।

2. मसाला घर प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए विधिमान्य रहेगा:

परन्तु प्रमाणपत्र उस अवधि के लिए अविधिमान्य होगा जिसके लिए निर्यातकर्ता वैध निर्यातक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारित नहीं करता है:

परन्तु यह और की निर्यातकर्ता उपनियम (1) में निर्दिष्ट सुविधाएं रखता है तो प्रमाणपत्र का नवीकरण किया जाएगा।

अपील

16. (1) धारा 13 के अधीन बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित, कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश किए जाने की तारीख से, साठ दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील, प्ररूप II में होगी और साथ ऐसी अपील की एक प्रति होगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है और पच्चीस रुपए की फीस संदाय के लिए साक्ष्य के रूप में एक रसीद होगी।
- (3) उपधारा (1) के अधीन अपील प्राप्त करने पर, केन्द्रीय सरकार, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जो वह ठीक समझे।

1. फा.सं.ई.पी. कृषि (V) दिनांक 7.2.93 को भारत सरकार अधिसूचना सं.जी. एस. आर. 661 (ई) दिनांक 19 अक्तूबर 1993 द्वारा संशोधित।

2. भारत सरकार की अधिसूचना सं.सा.का.नि 636 (ई) दिनांक: 10 सितंबर 2002 द्वारा संशोधित।

अध्याय V

वित्त, बजट और बोर्ड के लेखे

17. बजट प्राक्कलन

- (1) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आगामी वर्ष के लिए मसाला बोर्ड के लिए एक बजट तैयार करेगा और उसे केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए ऐसी तारीख को या उनके पूर्व जो उक्त सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाए, प्रस्तुत करेगा।
- (2) कोई व्यय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट मंजूर न कर दिया जाए और उस व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त न हो जाए।
- (3) बजट में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होगा, अर्थात्:-
 - (i) प्राक्कलित आरम्भिक अतिशेष।
 - (ii) अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राक्कलित प्राप्तियां।
 - (iii) निम्नलिखित शीर्षों और उपशीर्षों के अधीन प्राक्कलित व्यय या ऐसे अन्य शीर्ष या उपशीर्ष जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किए जाए, अर्थात्:-

शीर्षः

- (क) प्रशासन
- (ख) इलायची विकास बाबत उत्पादन
- (ग) बाज़ार विकास
- (घ) अनुसंधान
- (ङ.) संवर्धन और प्रचार
- (च) आंकडे
- (छ) संकर्म
- (ज) मसालों के विपणन के लिए सहकारिता प्रयासों का संवर्धन
- (झ) निर्यात के लिए गर्म मसालों की बाबत वित्तीय और अन्य सहायता।
- (ञ) बागान कल्याण।

उपशीर्षः

- (i) अधिकारियों के वेतन
 - (ii) स्थापन के वेतन
 - (iii) भत्ते, मानदेय और वैसे ही; और
 - (iv) अन्य प्रभार, आकस्मिकताएं और वैसे ही।
- (4) व्यय के अनुपूरक प्राक्कलन, यदि कोई है, केन्द्रीय सरकार को मंजूरी के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीखों को जो उसके द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत किए जाएंगे।

18. लेखा और लेखापरीक्षा:-

- * (1) बोर्ड, भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित प्ररूप IV और V में उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा वार्षिक आय और व्यय विवरण और तुलनपत्र तैयार करेगा।
- (2) बोर्ड के लेखाओं का भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा उतने अंतरालों पर जो उसके द्वारा विहित किए जाए, संपरीक्षा की जाएगी।
- (3) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक को, बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार होंगे जो उसे सरकार के लेखों की संपरीक्षा के संबंध में हैं और विशिष्टतया, बहियों/लेखाओं, संबंध वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजों को प्रस्तुत करने की मांग करने और बोर्ड के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- (4) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा यथाप्रमाणित बोर्ड के लेखे लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और सरकार उन्हें किसी तारीख को जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की गई तारीख के पश्चात् नहीं होगी, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेंगी।

19. फीस का संदाय:

इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन बोर्ड की संदेय फीसों की रकम का संदाय या तो मनी आर्डर द्वारा या बोर्ड के पक्ष में देय मांग ड्राफ्ट द्वारा अथवा कोचिन के डाकघर में बोर्ड को संदेय भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा, किया जाएगा।

- 20. प्रत्येक वर्ष के लिए वर्ष की समाप्ति के पश्चात् बोर्ड की अपनी क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने के लिए यथा शक्य शीघ्र किन्तु किसी भी दशा में 30 सितम्बर के बाद नहीं, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

अध्याय VI

रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां:-

- 21. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्वामी प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से 31 जुलाई की अवधि के लिए अपने स्वामित्वाधीन प्रत्येक संपदा की बाबत प्ररूप - III में एक वार्षिक विवरणी बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक वर्ष विवरणी 16** अगस्त तक बोर्ड के पास पहुंच जानी चाहिए।
- (2) विवरणियों का समय के भीतर प्रस्तुत न करना अधिनियम की धारा 26 के अधीन दंडनीय होगा।

* भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी. एस. आर 503 (ई) दिनांक 2 मई 1989 द्वारा संशोधित।

** भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी एस आर 397 दिनांक 29 जून 1990 के अनुसार संशोधित।

“प्ररूप - 1
(नियम 15 देखिए)

मसाला निर्यातकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी/नवीकरण के लिए आवेदन

1. संगठन का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

2. प्रधान/रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
भवन संख्या
भवन का नाम
सड़क पिन
शहर
राज्य
टेलीफोन
मोबाइल
फैक्स
ई मेल

शाखाओं का पता, यदि कोई है पृथक शीट में दें।

3. गठन
(कृपया जहां समुचित हो,
वहां सही का निशान लगाएं) स्वत्वधारिता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
 हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब पब्लिक लिमिटेड कंपनी
 भागीदारी पब्लिक सेक्टर (केन्द्रीय सरकार)
 सहकारी सोसाइटी पब्लिक सेक्टर (राज्य सरकार)
 अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

4. स्थापना की तारीख तारीख मास वर्ष

5. आई ई कोड संख्या
 (स्वतः सत्यापित प्रति संलग्न करें)
 जारी करने की तारीख
 जारी करने का स्थान

6. विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण
 (स्वतः सत्यापित प्रति संलग्न करें)
 जी एस टी
 जारी करने की तारीख
 जारी करने का स्थान
 सी एस टी
 जारी करने की तारीख
 जारी करने का स्थान

7. स्थाई लेखा सं. पी ए एन

8. कृपया उपदर्शित करें कि आवेदन विद्यमान प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए है या नए प्रमाण पत्र के लिए (कृपया जहां समुचित हो वहां सही का निशान लगाएं)
 नवीकरण नया

यदि नवीकरण के लिए तो कृपया बताएं
 प्रमाण पत्र संख्याक
 जारी करने की तारीख
 जारी करने का स्थान

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निर्यात किए गए मसालों के ब्यौरे

| वर्ष (अप्रैल-मार्च) रुपये में) | मसाले का नाम | निर्यात की गयी मात्रा (मीट्रिक टन में) | पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (लाख रुपए) |
|--------------------------------------|--------------|--|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

9. संप्रेषित फीस के ब्यौरे
 संदाय की पद्धति रकम रुपए
 (जहाँ समुचित हो, वहाँ सही का निशान लगाएं)

- ग. प्रवर्ग (जहां समुचित हो वहां सही का निशान लगाएं)
(प्रवर्ग के अनुसमर्थन में शेयर धारण प्रतिमान और पूंजी के ब्यौरे संलग्न करें)

| आकार | प्रकार | स्वामित्व |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> लघु उद्योग | <input type="checkbox"/> प्राइवेट सेक्टर | <input type="checkbox"/> बहुराष्ट्रीय निगम |
| <input type="checkbox"/> मध्यम उद्योग | <input type="checkbox"/> पब्लिक सेक्टर | <input type="checkbox"/> पूर्णतः भारतीय स्वामित्व की कं० |
| <input type="checkbox"/> बड़े उद्योग | <input type="checkbox"/> सहकारी सोसाइटी | <input type="checkbox"/> संयुक्त प्रतिष्ठान |
| <input type="checkbox"/> अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | <input type="checkbox"/> अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | <input type="checkbox"/> अन्य (विनिर्दिष्ट करें) |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

- घ. क्या प्रसंस्करण एकक शत - प्रतिशत हां नहीं
ई ओ यू है (जहां समुचित हो,
वहां सही का निशान लगाएं)

- ङ अवस्थान ई पी जेड एस ई जेड

पता

भवन संख्यांक

भवन का नाम

सड़क

शहर

 पिन

राज्य

- च. उपलब्ध सुविधाएं (जहां समुचित हो वहां सही का निशान लगाएं)

सफाई

श्रेणीकरण

छनाई

पिसाई

आसवन

निष्कर्षण

जीवाणु नाशन

पैकेजिंग

अन्य

विनिर्दिष्ट करें

- छ. क्वालिटी परीक्षण सुविधाएं (जहाँ समुचित हो, वहाँ सही का निशान लगाएं)
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | कीटनाशी अवशिष्ट |
| <input type="checkbox"/> | एफ्लाटॉक्सिन |
| <input type="checkbox"/> | रासायनिक संघटक संदूषक |
| <input type="checkbox"/> | भौतिक |
| <input type="checkbox"/> | रासायनिक |
| <input type="checkbox"/> | सूक्ष्म जैवीकरण |
- ज. संस्थित क्षमता एम टी
- झ. प्रमाणीकरण का ब्यौरा (जहाँ समुचित हो वहाँ सही का निशान लगाएं)
- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | आई एस ओ |
| <input type="checkbox"/> | एच ए सी सी पी |
| <input type="checkbox"/> | कार्बनिक उत्पाद |
| <input type="checkbox"/> | अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) <input type="text"/> |
14. उपलब्ध काम - काज पूंजी रूप
- पूंजी संरचना
- प्राधिकृत पूंजी रूप
- समादत्त पूंजी रूप
15. मसालों के निर्यात के लिए ब्रैंड का नाम/व्यापार चिह्न
-
- क. क्या ब्रैंड रजिस्ट्रीकृत है हां नहीं लागू नहीं
(जहाँ समुचित हो वहाँ सही का निशान लगाएं)
- ख. यदि हां, किसके साथ मसाला बोर्ड
बांड रजिस्ट्रीकृत भारतीय व्यापार चिह्न रजिस्ट्री
(जहाँ समुचित हो वहाँ सही का निशान लगाएं) विदेशी व्यापार चिह्न रजिस्ट्री
(देश का नाम विनिर्दिष्ट करें)

ग. उपर्युक्त ब्रैंड के साथ निर्यात के लिए निर्यातित/प्रस्तावित मसाले उत्पाद

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

15. वे देश जहां निर्यात किए गए हैं निर्यात करने के लिए आशयित हैं

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

घोषणा

मैं/हम घोषण करता हूँ/करती हूँ/ करते हैं कि ऊपर दी गयी जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और यह कि मैं/ हम मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 1989 में अधिकथित शर्तों और कारबार के संचालन के संबंध में बोर्ड द्वारा समय - समय पर दिए गए किन्हीं अनुदेशों का पालन करूंगा/करूंगी/करेंगे।

स्थान हस्ताक्षर

तारीख नाम

पदाभिधान
(मुद्रा)

- टिप्पण :- 1. आवेदन के साथ विहित फीस और अन्य दस्तावेज होने चाहिए।
2. संदत्त की गयी फीस किन्हीं भी परिस्थितियों में वापस नहीं की जाएगी।
3. प्रत्येक मसाले के लिए निर्यात के ब्योरे पृथक रूप से दिए जाने चाहिए।”
* भारत सरकार, अधिसूचना सं. 106 तारीख 21.06.2004 द्वारा संशोधित

प्ररूप II

(नियम 16 देखिए)

किसी भी प्रकार के मसाले के निर्यात का कारबार आरंभ करने/चलाने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को मंजूर करने से इंकार करने के विरुद्ध अपील।

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय,

नई दिल्ली।

..... में का कारबार या वृत्ति करनेवाले
.....निर्यातकर्ता (निर्यातकर्ताओं) की
अर्जी।

आपके अर्जीदार (अर्जीदारों) ने मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 12 के अधीन किसी भी प्रकार के मसाले के निर्यात का कारबार आरंभ करने या चलाने के लिए मसाला बोर्ड को सचिव को मसाला बोर्ड नियंत्रण के नियम 15(1) के अधीन प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए आवेदन (मंजूरी प्राप्त की है) किया है। मसाला बोर्ड के सचिव ने ऐसा प्रमाणपत्र.....ऐसे कारणों से जो तारीख.....के आदेश में कथित है और जिसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है, मंजूर करने से (पहले मंजूर किए ऐसे प्रमाणपत्र को वापस ले लिया गया है) इंकार कर दिया है।

ऐसे कारणों से जिन्हें नीचे दिया गया है आपके अर्जीदार (अर्जीदारों) ने निवेदन किया है/किये हैं कि प्रमाणपत्र को मंजूर किया जाए/वापस न लिया जाए और वह प्रार्थना करता है/करते हैं कि वाणिज्य मंत्रालय आवश्यक प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए/प्रमाणपत्र को वापस न लेने के लिए मसाला बोर्ड के सचिव को निदेश दे।

अपील के आधार

1.

2.

3.

आदि

तारीख:

हम/मैं.....उपर्युक्त अर्जी में नामित अर्जीदार यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि इसमें जो कुछ कहा गया है वह मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर

आवेदक का पता

.....
.....
.....

टिप्पण :(1) अनुपयुक्त शब्दों या अक्षरों को काट दें।

(2) अपील के साथ पच्चीस रुपए की फीस संलग्न करनी होगी। * यह सुझाव दिया जाता है कि फीस को भारतीय रिज़र्व बैंक के खजाने में मसाला बोर्ड के सचिव से चलान प्राप्त करके, जमा किया जाना चाहिए और चलान तीन प्रतियों में अपील के साथ मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए। मंत्रालय चेक, ड्राफ्ट, हुण्डी या अन्य परक्राम्य लिखतों को स्वीकार नहीं करेगा।

* भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी. एस. आर 503 (ई) दिनांक 2 मई 1989 द्वारा संशोधित।

प्ररूप III

(नियम 21 देखिए)

रजिस्ट्रीकृत इलायची संपदा स्वामी द्वारा विवरणी प्रस्तुत किए जाने का प्ररूप

1. संपदा स्वामी का नाम और डाक का पता :
2. संपदा का नाम :
3. उस जिला/तालूका/ग्राम का नाम
जिसमें संपदा अवस्थित है :
4. सर्वेक्षण संख्या (एँ) :
5. रजिस्ट्रीकरण सं. और तारीख :
6. इलायची के अधीन रजिस्ट्रीकृत क्षेत्र :
7. ता. 31-7-19..... को परित्यक्त क्षेत्र :
8. ता. 31-7-19..... को विस्तारित नया क्षेत्र :
9. तारीख 31-7-19..... को इलायची के
अधीन कुल क्षेत्र :
10. तारीख 31-7-19..... को अन्य फसलों के अधीन क्षेत्र :
11. तारीख 31-7-19..... को सडकों/भवनों
बंजर भूमि के अधीन क्षेत्र :
12. तारीख 31-7-19..... को संपदा का कुल
क्षेत्र (स्तम्भ 9, 10, 11 का योग) :
13. 13-7-19..... को समाप्त वर्ष के दौरान
इलायची के अधीन पुनःरोपित क्षेत्र :
14. 31-7-19..... को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
इलायची का उत्पादन :
15. श्रमिकों की संख्या
(क) स्थायी
(ख) अस्थायी
16. श्रमिकों को उपलब्ध कराई गई सुख-सुविधाएं :
(क) अस्पताल
(ख) विद्यालय
(ग) श्रमिक आश्रम
(घ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

प्ररूप IV

(नियम 18 देखिए)

मसाला बोर्ड, कोचिन 682 025

.....को समाप्त अवधि के लिए आय और व्यय विवरण

| व्यय | रु. | पै. | रु. | पै. | रु. | पै. | रु. | पै. |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| प्रशासन सं. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1. मसाला बोर्ड अधिनियम की धारा 21 के अधीन बोर्ड को दिए गए उपकर के आगम। घटाइए : स्थिर आस्तियों के अर्जन के लिए उपयुक्त रकम | | | | | | | | |
| 2. मसाला बोर्ड अधिनियम की धारा 20 के अधीन भारत सरकार द्वारा बोर्ड को संदत्त सहायता के रूप में अनुदान | | | | | | | | |
| घटाइए : स्थिर आस्तियों के अर्जन के लिए उपयुक्त रकम | | | | | | | | |
| 3. अन्य अभिकरणों से प्राप्त सहायता अनुदान | | | | | | | | |
| 4. अधिनियम के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्तियों की बाबत उद्ग्रहणीय फीस | | | | | | | | |
| 5. इलायची पौध बीज के विक्रय के आगम | | | | | | | | |
| बाजार संवर्धन | | | | | | | | |
| सांख्यिकी | | | | | | | | |

| व्यय | रु. | पै. | रु. | पै. | रु. | पै. | रु. | पै. | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |

बागान श्रम कल्याण अनुसंधान
(छोटी इलायची)

6. रोपकों को दिए गए ऋण पर ब्याज

संवर्धन (छोटी इलायची)

7. नियत कालिक पत्रिकाओं का अभिदान
विज्ञापन से प्राप्तियां, अनुसंधान फार्मों से
इलायची का विक्रय, इलायची के
संवर्धनात्मक विक्रय के आगम और अन्य
प्रकीर्ण प्राप्तियां आदि।

अनुसंधान
(बड़ी इलायची)

संवर्धन
(बड़ी इलायची)

अन्य
संलग्न अनुसूची के अनुसार अवक्षय

प्ररूप V

(नियम 18 देखिए)

मसाला बोर्ड, कोचीन 682 025

.....तारीख को तुलन पत्र

| दायित्व | रु. | पै. | रु. | पै. | रु. | पै. | रु. | पै. | आस्तियां | रु. | पै. | रु. | पै. |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| भारत सरकार से लिए गए ऋण | | | | | | | | | अंतःशेष | | | | |
| बकाया ऋण दायित्व | | | | | | | | | बकाया : प्राप्तियां | | | | |
|तारीख को स्थिर आस्तियों के अर्जन | | | | | | | | | | | | | |
| के लिए उपयुक्त उपकर और अनुदान | | | | | | | | | | | | | |
| की रकम | | | | | | | | | | | | | |
| जोडः..... के दौरान उपयोग में | | | | | | | | | पूर्व संदत्त व्यय | | | | |
| लाई गई रकम | | | | | | | | | कर्मचारीवृन्द को अग्रिम | | | | |
| आरक्षित और अधिशेष | | | | | | | | | रोपकों को दिए गए ऋण | | | | |
| | | | | | | | | | सहकारिता | | | | |
| | | | | | | | | | भूमि और भवन | | | | |

| दायित्व | रु. | पै. | रु. | पै. | रु. | पै. | रु. | पै. | रु. | पै. |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

मोटर यान
 फर्नीचर और फिटिंग्स
 प्रयोगशाला उपस्कर
 अनुसंधान (छोटी इलायची)
 अनुसंधान (बड़ी इलायची)

अन्य आस्तियाँ

प्रचार अनुसंधान (छोटी इलायची)
 विभागीय पौधशाला
 स्कीम
 अनुसंधान (बड़ी इलायची)
 संवर्धन (बड़ी इलायची)
 बीज फार्म

जैसे कि..... को व्यय पर आय की
 अधिकता

घटाइए : के दौरान आय की
 अपेक्षा व्यय की अधिकता

6. क्या आवेदन मसाला घर प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए है या नये नवीकरण नया प्रमाणपत्र के लिए है (जहाँ समुचित हो, वहाँ सही का निशान लगाएं)
7. यदि नवीकरण के लिए हैं, वो उपदर्शित करें प्रमाण पत्र संख्यांक जारी किए जाने की तारीख
8. प्रसंस्करण एकक की विशिष्टियां
क. परिसर की प्रास्थिति स्वयं धारित पट्टे पर (जहाँ समुचित हो वहाँ सही का निशान लगाएं)
(स्वामित्व विलेख पट्टा करार की प्रति संलग्न करें)
ख. प्रसंस्करण एकक का पता
भवन संख्यांक
भवन का नाम
गली
शहर पिन
राज्य
टेलीफोन
मोबाइल
फैक्स
ई-मेल
9. वह भवन जिसमें प्रसंस्करण एकक स्थित है
(क) क्या भवन की संरचना स्थायी है हाँ नहीं
(ख) आच्छादित क्षेत्र वर्गफीट
(ग) संरचना का प्रकार सीमेंट युक्त आर.सी.सी. अन्य विनिर्दिष्ट करें
(जहाँ समुचित हो वहाँ सही का निशालन लगाएं)
- | | | | | |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| दीवार | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| फर्श | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| छत | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |

10. उपलब्ध स्वच्छप्रद सुविधाएं (कृपया जहां समुचित हो वहां सही का निशान लगाएं)
(कृपया भरे जाने से पूर्व संलग्न अनुसूची को पढ़ लें)

- | | | | | |
|--|--------------------------|-----|--------------------------|------|
| i) धुलाई सुविधाएं | <input type="checkbox"/> | हाँ | <input type="checkbox"/> | नहीं |
| ii) मार्जक (डिटरजेंट) | <input type="checkbox"/> | हाँ | <input type="checkbox"/> | नहीं |
| iii) तौलिए | <input type="checkbox"/> | हाँ | <input type="checkbox"/> | नहीं |
| iv) कर्मकारों के लिए ट्रेसिंग कक्ष | <input type="checkbox"/> | हाँ | <input type="checkbox"/> | नहीं |
| v) पुरुषों के लिए प्रसाधन सुविधाएं | <input type="checkbox"/> | हाँ | <input type="checkbox"/> | नहीं |
| vi) महिलाओं के लिए प्रसाधन सुविधाएं | <input type="checkbox"/> | हाँ | <input type="checkbox"/> | नहीं |
| vii) कर्मकारों के लिए हैंडगियर | <input type="checkbox"/> | हाँ | <input type="checkbox"/> | नहीं |
| viii) कर्मकारों के लिए माउथकवर | <input type="checkbox"/> | हाँ | <input type="checkbox"/> | नहीं |
| ix) अपशिष्ट सामग्री के व्ययन के लिए सुविधाएं | <input type="checkbox"/> | हाँ | <input type="checkbox"/> | नहीं |
| x) कोई अन्य सुविधाएं (विनिर्दिष्ट करें) | <input type="checkbox"/> | हाँ | <input type="checkbox"/> | नहीं |

| |
|--|
| |
|--|

11. वह उत्पाद जिसके लिए मसाला घर प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया गया है (प्रत्येक मसाला उत्पाद के लिए पृथक आवेदन अपेक्षित है)

| |
|--|
| |
|--|

12. उपलब्ध सुविधाएं
उपस्कर/मशीनरी सहित सुविधाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करें। यदि अपेक्षित हो अतिरिक्त पन्ने संलग्न करें

| |
|---------------|
| क. धुलाई |
| ख. शुष्कन |
| ग. प्रसंस्करण |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| घ. श्रेणीकरण | |
| ड. पैकेजिंग | |
| | पैकों का यूनिट भार |
| | पैकिंग सामग्री |
| च. भाण्डाकारण | |
| छ. क्वालिटी नियंत्रण | |
| ज. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | |

घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। मैंने/हमने मसाला बोर्ड नियम, 1987 के उपबंधों को ध्यान से पढ़ लिया है और मैं/हम उसका अनुपालन करूँगा/करूँगी/करेंगे।

हस्ताक्षर

स्थान:

नाम

तारीख:

पदाभिधान'

प्ररूप VII

(नियम 15 क देखें)

मसाला घर प्रमाणपत्र

मसाला बोर्ड

(वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, कोचिन - 682 025)

संख्यांक.....

मेसर्स मसालों के निर्यातकर्ता जिसका निर्यातकर्ता

रजिस्ट्रीकरण सं है, को मसालों/मसाला उत्पादों की सफाई, प्रसंस्करण, श्रेणीकरण, भण्डागारण, पैकेजिंग की उनकी सुविधाओं के आधार पर यह मसाला घर प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

यह प्रमाणपत्र तक विधिमान्य है।

स्थान : कोचिन

तारीख :

¹बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(मुद्रा)

सं. "अनुसूची

मसालों तथा मसाला उत्पाद प्रसंस्करण यूनिटों को मसाला घर प्रमाणपत्र के लिए अर्ह बनाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम सुविधाएं

I प्रसंस्करण

| | |
|------------------------------|---|
| 1.परिसर और परिवेश | भौतिक, रासायनिक तथा सूक्ष्म जैविक प्रदूषण और प्रसंस्करण में उत्पाद या यूनिटों में नियोजित व्यक्ति को किसी परिसंकट से बचाने के लिए परिवेश साफ रखा जाएगा। हवा में उड़ कर आने वाली धूल को रोकने हेतु परिसर के ठीक पहुँच मार्गों का तल पक्क होगा। |
| 2.भवन | भवन, स्थायी प्रकृति का, पर्याप्त प्रकाश से युक्त होगा जिसमें जलवायु संबंधी परिसंकट से संरक्षण की व्यवस्था होगी और सामग्री के आर-पार संदूषण के निवारण के लिए निर्मित होगा। संदूषण के अपवर्जन के लिए आवसिक क्षेत्र पृथक होंगे। खाद्य धराई-उठाई क्षेत्रों का कीटों, कृतकों और पशुओं से संरक्षण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे। छते, दीवारों और फर्श चिकने जल से अमध और स्वच्छ करने योग्य होंगे। दरवाजों और खिड़कियों को उचित रूप से संरखित किया जाएगा और कीटरोधी व्यवस्था की जाएगी। उपयुक्त निकास द्वारों की व्यवस्था की जाएगी। |
| 3. वस्त्र | परिवर्तन कक्ष - पुरुष और स्त्री कर्मकारों के लिए कार्यक्षेत्र के प्रवेश द्वार के निकट अपेक्षित सुविधाओं सहित अलग-अलग वस्त्र परिवर्तन कक्ष होंगे। यूनिट में किसी प्रक्रिया में लगे होने पर, स्वच्छ कार्यकरण वस्त्र, एप्रन, हेडगियर और माउथ कवर की व्यवस्था की जाएगी। उनका उपयोग किया जाना चाहिए। |
| 4. मशीनरी और उपस्कर | कच्ची सामग्री, अपनायी गयी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी तथा परिरूपित उत्पाद पर निर्भर करते हुए, मसालों के प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त संख्या और क्षमता की उचित मशीनरी होगी। मशीनरी अच्छी दशा में रखी जाएगी और उनका अच्छी तरह अनुरक्षण किया जाएगा। |
| 5. बर्तन, वर्क टेबल तथा आधान | खाद्य सामग्री के लिए प्रयुक्त बर्तन, वर्क टेबल एवं आधान चिकने, संक्षरण रोधी - तथा साफ करने में आसान होंगे। खाद्य सामग्री और अखाद्य सामग्री के लिए प्रयुक्त बर्तन अलग अलग होंगे और उन्हें उस रूप में अलग अलग पहचाना जाएगा। |
| 6. बॉयलर | प्रसंस्करण के लिए यदि भत्ता अपेक्षित हो तो उचित क्षमता का बॉयलर संस्थित किया जाएगा जो उसके लिए लागू कानूनी विनियम के अनुसार होगा। |
| 7. जल | प्रसंस्करण और सफाई के लिए प्रयुक्त जल पीने योग्य होगा और सुसंगत आई एस आई विनिर्देशों के अनुसार होगा। |
| 8. बहिःस्त्रावी उपचार | सुसंगत कानूनी विनियमों की पूर्ति के लिए उपयुक्त बहिःस्त्रावी उपचार प्रणाली होगी। |

| | |
|-------------|--|
| 9. अनुरक्षण | परिसर, भवन, मशीनरी, मशीनरी से जूड़े उपकरण आदि की प्रलेखित अनुरक्षण अनुसूची होगी और मानीटरिंग तथा जांच युक्तियों का अंशशोधन किया जाएगा। |
| 10. प्रसाधन | बहने वाले पानी सहित स्वच्छ प्रकार के शौचघर पर्याप्त संख्या में होंगे। |

II स्वच्छता, सफाई एवं स्वास्थ्य मानक:

| | |
|--|--|
| 1. कार्मिकों का स्वास्थ्य | (क) सीधे मसालों को उठाने - धरने, खाद्य संपर्क सतहों और पैकिंग सामग्री में लगे कार्मिकों द्वारा सर्वोच्च संभव स्वच्छता का अनुपालन किया जाएगा। कार्मिक सांसर्गिक रोगों से मुक्त होंगे। |
| 2. यूनिट में स्वच्छता | (ख) खाद्य संपर्क क्षेत्र, फर्श, दीवारें, पार्टीशन, परछती और छत की लाइनिंग, मशीनरी, उपस्कर, बर्तन, टायलेट, सफाई सुविधाएं आदि साफ और अच्छी दशा में रखी जाएंगी। प्रसंस्करण परिसर कृतकों, पीड़क जंतुओं, कीटों कीड़े मकोड़ों, पक्षियों और पशुओं तथा पालतू पशुओं से मुक्त होने चाहिए और उन्हें प्रलेखित किया जाना चाहिए। प्रयुक्त कृतकनाशी, कीटनाशी आदि क्षेत्र को संदूषित नहीं करेंगे और उन्हें प्रशिक्षित कार्मिक द्वारा ही धरा - उठाया जाएगा। |
| 3. धातु, कांच आदि से प्रदूषण का नियंत्रण | धातु, कांच आदि से प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए उचित रूप से प्रलेखित नीति होगी। सभी दीपों के लिए उचित सुरक्षात्मक आवरण होने चाहिए। |

III भांडागार सुविधाएं

| | |
|----------------------------------|--|
| 1. कच्ची सामग्री/तैयार माल भंडार | कच्ची सामग्री के गोदामों के लिए पर्याप्त स्थान होने चाहिए जहां कस के फिट किए गए द्वार, समतल फर्श और दीवार हों। तैयार माल भंडार में पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए जिसमें सामग्री पर निर्भर यथाअपेक्षित पर्यावरणीय परिस्थितियाँ हों। कृतक और नाशक जीव नियंत्रण व्यवस्था भंडार में उपलब्ध होगी। |
| 2. शुष्कन यार्ड | यदि यांत्रिकी शुष्कन का प्रयोग होता है तो वह उपयुक्त और पर्याप्त क्षमता में होगा। यदि विद्युत से भिन्न ईंधन का प्रयोग होता है तो ईंधन सामग्री द्वारा संदूषण का कोई अवसर नहीं होगा। पर्याप्त क्षमता के यांत्रिकी शुष्कन की अनुपस्थिति में, पर्याप्त स्थान वाला शुष्कन यार्ड होगा और शुष्कन यार्ड समतल होगा और जिसमें चिड़ियों और पशुओं के संरक्षण के लिए सुविधा सहित पर्याप्त उपयुक्त ढाल होगी। |

IV गुणवत्ता आश्वासन

| | |
|------------|--|
| प्रयोगशाला | कच्ची सामग्री, प्रक्रिया तथा उत्पाद पर निर्भर रहते हुए पर्याप्त जांच सुविधाओं सहित एक प्रयोगशाला होगी। अर्हित एवं अनुभवी तकनीकी कार्मिक, प्रयोगशाला में कार्य करेंगे। जांच रिपोर्टें उचित रजिस्ट्रों में प्रलेखित की जाएंगी। प्रसंस्करण के दौरान कच्ची सामग्री और तैयार माल नियमित जांचों के अधीन होंगे और अनुरक्षित रजिस्टर में विश्लेषणात्मक डाटा प्रलेखित किया जाएगा। |
|------------|--|

V पैकेजिंग और श्रेणीकरण

| | |
|----------|---|
| पैकेजिंग | एक ऐसी स्वचालित या अर्द्ध स्वचालित समुचित पैकेजिंग प्रणाली होगी जो पैकेजिंग के अंतर्वस्तुके साथ प्रत्यक्ष संपर्क को कम करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो कि प्रदूषण न हो सके। विभिन्न विनिर्देशों के उत्पादित/उत्पाद मसाला के श्रेणीकरण के लिए सुविधाएं होंगी। |
|----------|---|

VI प्रमाणीकरण अपेक्षाएं

| | |
|----------------------|---|
| प्रमाणीकरण अपेक्षाएं | किसी भी अनुमोदित अभिकरणों द्वारा आई एस ओ 9000 तथा एच ए सी सी पी/ जी एम पी के अधीन यूनिट प्रमाणित होगा, परन्तु मसाला घर प्रमाणज धारकों की दशा में अधिसूचना की तारीख से अधिकतम एक साल की अवधि के लिए इस शर्त को शिथिल किया जा सकेगा।” |
|----------------------|---|

[फा. सं. 5/1/2002 - ई पी (एग्री - V)]

एस. एस. कपूर, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सं. सा. का. नि. 115 (अ) तारीख 26 फरवरी, 1987 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए-

- (1) अधिसूचना सं. सा. का. नि. 661 (अ) तारीख 17 जुलाई, 1987;
- (2) अधिसूचना सं. सा. का. नि. 503 (अ) तारीख 2 मई 1989;
- (3) अधिसूचना सं. सा. का. नि. 47 (अ) तारीख 5 जनवरी 1990
- (4) अधिसूचना सं. सा. का. नि. 74 (अ) तारीख 15 फरवरी, 1990;
- (5) अधिसूचना सं. सा. का. नि. 397 (अ) तारीख 29 जून 1990
- (6) अधिसूचना सं. सा. का. नि. 340 (अ) तारीख 29 मार्च 1993
- (7) अधिसूचना सं. सा. का. नि. सं. 661 (अ) तारीख 19 अक्टूबर, 1993
- (8) 1 व 2 अधिसूचना सं. सा.का.नि. सं. 636 (अ) तारीख 10 सितंबर 2002

मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986

धाराओं का क्रम

अध्याय 1

प्रारंभिक

| धाराएं | पृष्ठ सं |
|---------------------------------------|----------|
| 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ | 1 |
| 2. परिभाषाएं | 1 |

अध्याय 2

मसाला बोर्ड

| | |
|---|---|
| 3. बोर्ड का गठन और निगमन | 2 |
| 4. सचिव और अन्य अधिकारी | 4 |
| 5. सलाहकार समितियां | 4 |
| 6. इलायची बोर्ड और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद् की आस्तियों और दायित्वों का बोर्ड को अन्तरण | 4 |
| 7. बोर्ड के कृत्य | 5 |

अध्याय 3

इलायची सम्पदा के स्वामियों का रजिस्ट्रीकरण

| | |
|--|---|
| 8. इलायची सम्पदा के स्वामियों का रजिस्ट्रीकरण | 6 |
| 9. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति | 7 |
| 10. रजिस्ट्रीकृत स्वामियों द्वारा दी जाने वाली विवरणियाँ | 7 |

अध्याय 4

मसालों के निर्यात के लिए प्रमाणपत्र

| | |
|--|---|
| 11. किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणपत्र के बिना मसालों का निर्यात न किया जाना | 7 |
| 12. प्रमाणपत्र का दिया जाना | 7 |
| 13. प्रमाणपत्र का रद्दकरण, निलम्बन आदि | 8 |
| 14. अपील | 8 |
| 15. प्रमाणपत्र के बिना निर्यात की अनुज्ञा देने की शक्ति | 9 |

अध्याय 5

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण

| | |
|--|----|
| 16. इलायची की कीमत और वितरण का नियंत्रण करने की शक्ति | 9 |
| 17. इलायची के आयात का प्रतिषेध या नियंत्रण करने की शक्ति | 10 |

- | | | |
|-----|--|----|
| 18. | केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति | 10 |
| 19. | केन्द्रीय सरकार की बोर्ड को अतिष्ठित करने की शक्ति | 10 |

अध्याय 6

वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

- | | | |
|-----|--|----|
| 20. | केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार | 11 |
| 21. | बोर्ड की निधि | 11 |
| 22. | बजट | 12 |
| 23. | वार्षिक रिपोर्ट | 12 |
| 24. | लेखा और लेखापरीक्षा | 12 |
| 25. | वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का संसद् के समक्ष रखा जाना | 12 |

अध्याय 7

प्रकीर्ण

- | | | |
|-----|--|----|
| 26. | मिथ्या विवरणियाँ देने के लिए शास्ति | 12 |
| 27. | बोर्ड के किसी अधिकारी या सदस्य को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने के लिए तथा बहियों और लेखाओं को पेश करने में असफलता के लिए शास्तियाँ | 12 |
| 28. | कीमत आदि के नियंत्रण से संबंधित आदेश के उल्लंघन के लिए शास्तियाँ | 13 |
| 29. | धारा 11 के या धारा 17 के अधीन किए गये किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्तियाँ | 13 |
| 30. | अन्य शास्तियाँ | 13 |
| 31. | कम्पनियों द्वारा अपराध | 13 |
| 32. | 1962 के अधिनियम, 52 के उपबन्धों का मसालों के निर्यात और इलायची के आयात को लागू होना | 14 |
| 33. | केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी | 14 |
| 34. | प्रत्यायोजन | 14 |
| 35. | बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोकसेवक होना | 14 |
| 36. | सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण | 14 |
| 37. | प्रवेश करने की शक्ति | 14 |
| 38. | नियम बनाने की शक्ति | 15 |
| 39. | विनियम बनाने की शक्ति | 16 |
| 40. | नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना | 16 |
| 41. | कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति | 16 |
| 42. | निरसन और व्यावृत्ति | 17 |
| 43. | अनुसूची | 17 |

मसाला बोर्ड नियम, 1987

अध्याय I

प्रारंभिक

| नियम | पृष्ठ सं. |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ | 18 |
| 2. परिभाषाएं | 18 |
| 3. बोर्ड का कार्यालय | 18 |

अध्याय II

बोर्ड और उसकी समितियाँ

| | |
|---|----|
| 4. बोर्ड का गठन और सदस्यों में से रिक्तियों को भरे जाने की रीति | 19 |
| 5. सदस्यों की पदावधि | 20 |
| 6. सदस्यता नामावली | 20 |
| 7. पते में परिवर्तन | 20 |
| 8. पदत्याग | 21 |
| 9. सदस्यों को हटाया जाना | 21 |
| 10. उपाध्यक्ष | 21 |
| 11. समितियों की नियुक्ति | 21 |
| 12. समितियों के कृत्य | 23 |
| 13. विशेष समिति की गठन के लिए उपबन्ध | 24 |

अध्याय III

अध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य

| | |
|------------------------------------|----|
| 14. अध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य | 24 |
|------------------------------------|----|

अध्याय IV

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

| | |
|-----------------------------|----|
| 15. प्रमाणपत्र के लिए आवेदन | 25 |
| 16. अपील | 25 |

अध्याय V

वित्त, बजट और बोर्ड का लेखा

| | | |
|-----|------------------------|----|
| 17. | बजट प्राकलन | 26 |
| 18. | लेखा और लेखा - परीक्षा | 27 |
| 19. | फीस का संदाय | 27 |
| 20. | वार्षिक रिपोर्ट | 27 |

अध्याय VI

रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ

| | | |
|-----|--|----|
| 21. | बोर्ड को विवरणी प्रस्तुत करना | 27 |
| | प्ररूप I निर्यातक के तौर पर रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन | 28 |
| | प्ररूप II रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की इनकार पर अपील | 34 |
| | प्ररूप III रजिस्ट्रीकृत संपदा स्वामी द्वारा विवरणी प्रस्तुत किए जाने का प्ररूप | 36 |
| | प्ररूप IV आय व्यय का विवरण | 37 |
| | प्ररूप V तुलन पत्र | 39 |
| | प्ररूप VI मसाला भवन प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए आवेदन | 41 |
| | प्ररूप VII मसाला भवन प्रमाणपत्र | 45 |



स्पाइसेस बोर्ड
भारत

मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986

1986 संख्यांक 10

THE SPICES BOARD ACT, 1986

No. 10 of 1986

और

AND

मसाला बोर्ड नियम, 1987

THE SPICES BOARD RULES, 1987

(30-06-2006 तक यथा संशोधित)

(As amended upto 30-06-2006)

प्रकाशित:

स्पाइसेस बोर्ड

वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय,

भारत सरकार

बाइपास, पालारिवट्टम, पी.ओ.

पी.बी. नं. 2277

कोचिन - 682 025, भारत

Published by:

SPICES BOARD

Ministry of Commerce & Industry,
Govt. of India

By Pass, Palarivattom P.O.

P.B. No. 2277

Cochin - 682 025, India

टेलिफोन/Tel: 0484-2333610-616

फैक्स/Fax: 0484-2331429, 2334429

टेलिग्राम/Telegram : SPICEX

ई मेइल/E.mail: 1. spicesboard@vsnl.com

2. mail@indianspices.com

वेबसाइट /Website : www.indianspices.com

मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986

1986 संख्यांक 10

THE SPICES BOARD ACT, 1986

No. 10 of 1986

और

AND

मसाला बोर्ड नियम, 1987

THE SPICES BOARD RULES, 1987

(30-06-2006 तक यथा संशोधित)

(As amended upto 30-06-2006)

Copies : 500/October 2006

Price : Rs. 100

Printed at : Modern Graphics

Kaloor

Cochin-17

Phone : 2342158

THE SPICES BOARD ACT, 1986

No. 10 of 1986

An act to provide for the constitution of a Board for the development of export of spices and for the control of cardamom industry including the control of cultivation of cardamom and matters connected therewith.

Be it enacted by parliament in the Thirty - seventh Year of the Republic of India as follows:

CHAPTER - I

PRELIMINARY

- | | |
|--------------------------------------|--|
| | 1. (1) This Act may be called the Spices Board Act, 1986 |
| Short title, extent and commencement | (2) It extends to the whole of India |
| | (3) * It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint. |
| Definitions | 2. In this Act, unless the context otherwise requires; |
| | (a) "Board" means the Spices Board constituted under sub-section (1) of section 3; |
| | (b) "cardamom" means the fruit of cardamom plant and includes green cardamom, bleached cardamom, bleachable white cardamom, sundried cardamom, cardamom seeds, powdered cardamom and oil extracted from cardamom; |
| | (c) "cardamom plant" means <i>Elettaria cardamom maton</i> , <i>amomum subulatum</i> Roxb and any other plant which the Board may, by notification in the official Gazette, declare to be a cardamom plant for the purposes of this Act; |
| | (d) "certificate" means a certificate granted under section 12; |
| | (e) "dealer" means a dealer in spices |
| | (f) "estate" means the area administered as one unit which contains land planted with cardamom plants. |

* The Spices Board Act 1986 came into force from 26th February 1987 vide Government of India, Ministry of Commerce, Notification No. 122 (E) dated 26th February 1987.

- (g) “export” and “import” mean, respectively, taking out of or bringing into India by land, sea and air;
- (h) “manufacturer” means a manufacturer of spices;
- (i) “member” means a member of the Board appointed under sub-section (3) of section 3;
- (j) “owner” in relation to any land planted with cardamom plants, includes -
 - (i) any agent of the owner; and
 - (ii) a mortgagee, lessee or other person in actual possession of the land;
- (k) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (l) “registered estate” means an estate in respect of which an owner is registered under sub-section (1) of section 8 and includes any estate in respect of which an owner is required to be registered under the provisions of that sub-section;
- (m) “registered owner” means an owner of a registered estate which has been or is registered or is required to be registered under sub-section (1) of section 8; and
- (n) “spices” means the spices specified in the Schedule:
 Provided that the Central Government may, if satisfied that it is necessary or expedient in the public interest so to do, by notification in the Official Gazette, add any other spice to the Schedule or omit any spice therefrom.

CHAPTER - II

THE SPICES BOARD

Constitution and
incorporation of
the Board

- 3. (1) The Central Government shall, by notification in the Official Gazette constitute, for the purposes of this Act, a Board, to be called the Spices Board.
- (2) The Board shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power, subject of the provisions of this Act to contract and shall, by the said name, sue and be sued.
- (3) * The Board shall consist of such number of members, not exceeding thirty-two, as may be prescribed, and unless the rules made in this behalf otherwise provide, the Board shall consist of the following members, namely:-

* Please see Chapter II of Spices Board Rules, 1987.

- (a) a Chairman
- (b) three Members of Parliament, of whom two shall be elected by the House of the People and one by the Council of States;
- (c) three members to represent respectively the Ministries of the Central Government dealing with:
 - (i) Commerce;
 - (ii) Agriculture; and
 - (iii) Finance;
- (d) six members to represent the growers of spices;
- (e) eleven members to represent the exporters of spices;
- (f) three members to represent major spice producing States;
- (g) five members, one each to represent:-
 - (i) the Directorate of Cocoa, Arecanut and Spices Development, Calicut;
 - (ii) the Indian Institute of Packaging, Bombay
 - (iii) the Central Food Technological and Research Institute, Mysore
 - (iv) the Regional Research Laboratory, Trivandrum; and
 - (v) the Central Plantation Crops Research Institute, Kasargode.
- (4) The office of member of the Board shall not disqualify its holder for being chosen as or for being, a member of either House of Parliament.
- (5) The term of office of the members and other conditions of service of the members shall be such as may be prescribed.
- (6) The Chairman shall, in addition to presiding over the meetings of the Board, exercise and discharge such powers and duties of the Board as may be delegated to him by the Board and such other powers and duties as may be prescribed.
- (7) The Board shall elect from among its members a Vice-Chairman who shall exercise such of the powers and perform such of the functions of the Chairman as may be prescribed or as may be delegated to him by the Chairman.
- (8) No act or proceeding of the Board shall be invalidated merely by reason of:-

- (a) any vacancy in, or any defect in the constitution of the Board;
 - (b) any defect in the appointment of a person acting as a member of the Board;
 - (c) any irregularity in the procedure of the Board not affecting the merits of the case.
- Secretary and other Officers
4. (1) The Board may appoint the Secretary and such other officers and employees as it considers necessary for the efficient discharge of its functions under this Act.
- (2) The terms and conditions of service of the Secretary and other officers and employees of the Board shall be such as may be determined by Regulations.
- Advisory Committees
- 5 (1) Subject to any rule made in this behalf, the Board may, from time to time, constitute such committees as may be necessary for the efficient discharge of its functions.
- (2) Every committee constituted under sub-section (1) shall consist of such number of persons as the Board may deem fit.
6. (1) On and from the commencement of this Act:
- Transfer of assets and liabilities of the Cardamom Board and the Spices Export Promotion Council to the Board
- (a) All properties and other Assets vested in the Cardamom Board and the Spices Export Promotion Council immediately before such commencement shall vest in the Board;
 - (b) all debts, obligations and liabilities incurred, all contracts entered into and all matters and things engaged to be done by, with, or for the Cardamom Board or the Spices Export Promotion Council immediately before such commencement for or in connection with the purposes of the Cardamom Board or the Spices Export Promotion Council shall be deemed to have been incurred, entered into and engaged to be done by, with or for the Board;
 - (c) all sums of money due to the Cardamom Board or the Spices Export Promotion Council immediately before such commencement shall be deemed to be due to the Board;
 - (d) all suits and other legal proceedings instituted or which could have been instituted by or against the Cardamom Board or the Spices Export Promotion Council immediately before such commencement may be continued or instituted by or against the Board; and

- (e) every employee holding any office under the Cardamom Board or the Spices Export Promotion Council immediately before such commencement shall on such commencement hold his office or service under the Board with the same rights and privileges as to pension, gratuity and other matters as would have been admissible to him if there had been no such vesting and shall continue to do so unless and until his employment under the Board is duly terminated or until his remuneration and other conditions of service are duly altered by the Board.

14 of 1947

- (2) Notwithstanding anything contained in the Industrial Disputes Act, 1947 or in any other law for the time being in force, the absorption of any employee by the Board in its regular service under this section shall not entitle such employee to any compensation under that Act or other law and no such claim shall be entertained by any court, tribunal or other authority.

Functions of the Board

- 7. (1.) The Board may:-
 - (i) develop, promote and regulate export of spices;
 - (ii) grant certificate for export of spices and register brokers therefore;
 - (iii) undertake programmes and projects for promotion of export of spices;
 - (iv) assist and encourage studies and research for improvement of processing, quality, techniques of grading and packaging of spices;
 - (v) strive towards stabilisation of prices of spices for export;
 - (vi) evolve suitable quality standards and introduce certification of quality through "Quality Marking" for spices for export;
 - (vii) control quality of spices for export;
 - (viii) give licences, subject to such terms and conditions as may be prescribed, to the manufacturers of spices for export;
 - (ix) market any spice, if it considers necessary, in the interest of promotion of export;
 - (x) provide warehousing facilities abroad for spices;
 - (xi) collect statistics with regard to spices for compilation and publication;

- (xii) import, with the previous approval of the Central Government, any spice for sale, and
 - (xiii) advise the Central Government on matters relating to import and export of spices.
- (2) The Board may also:-
- (i) promote co-operative efforts among growers of cardamom;
 - (ii) ensure remunerative returns to growers of cardamom;
 - (iii) provide financial or other assistance for improved methods of cultivation and processing of cardamom, for replanting cardamom and for extension of cardamom growing areas;
 - (iv) regulate the sale of cardamom and stabilisation of prices of cardamom;
 - (v) provide training in cardamom testing and fixing grade standards of cardamom;
 - (vi) increase the consumption of cardamom and carry on propaganda for that purpose;
 - (vii) register and licence brokers (including auctioneers) of cardamom and persons engaged in the business of cardamom;
 - (viii) Improve the marketing of cardamom;
 - (ix) collect statistics from growers, dealers and such other persons as may be prescribed on any matter relating to the cardamom industry; publish statistics so collected or portions thereof or extracts therefrom;
 - (x) secure better working conditions and the provision and improvement of amenities and incentives for workers; and
 - (xi) undertake, assist or encourage scientific, technological and economic research.

Chapter - III

REGISTRATION OF OWNERS OF CARDAMOM ESTATES

- Registration of owners of cardamom estates
8. (1) Every owner of land planted with cardamom plants, whether such land is comprised in one estate or more than one estate, shall, before the expiration of one month from the date on which he first became owner of such estate or estates, apply to the registering officer appointed in this behalf by the State Government to be registered as an owner in respect of each estate owned by him;

- Provided that the State Government may, for sufficient reasons, extend the time-limit for registration by such period as it thinks fit.
- Power of State Government to make rules (2) Registration once made shall continue to be in force until it is cancelled by the registering officer.
9. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry into effect the provisions of section 8.
- (2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may prescribe the form of the application for registration and for cancellation of registration, the fee payable on such applications, the particulars to be included in such application the procedure to be followed in granting and cancelling registration, the registers to be kept by registering officers and the supply by registering officers of information to the Board.
- Returns to be made by registered owners 10.(1) A registered owner shall furnish returns to the Board in such form, at such times and in such manner as may be prescribed.
- (2) The Board may authorize an officer to visit any estate at any time to verify the accuracy of any return made under this section or to ascertain the productive capacity of the estate.

CHAPTER IV

CERTIFICATE FOR EXPORT OF SPICES

11. Save as otherwise provided in this Act, no person shall, after the commencement of this Act, commence or carry on the business of export of any spice except under and in accordance with a certificate.
- No person to export spices without certificate

Provided that a person carrying on the business of export of spices immediately before the commencement of this Act, may continue to do so for a period of three months from such commencement; and if he has made an application for such certificate with the said period of three months till the disposal of such application.

Explanation: The reference in this section to the commencement of this Act shall be construed in relation to any spice added to the Schedule by notification under the proviso to clause (n) of section 2 as reference to the date with effect from which such spice is added to the Schedule.

- Grant of certificate 12.(1) An application for grant of certificate shall be made to the Board in such form and shall contain such particulars as may be prescribed and shall be accompanied by a receipt evidencing the payment of the prescribed fee.

- (2) On receipt of such application, the Board shall :-
 - (a) if the application is not in the prescribed form or does not contain any of the prescribed particulars, return the application to the applicant; or
 - (b) if the application is in the prescribed form and contains the prescribed particulars, grant the certificate subject to such terms and conditions as may be determined by regulations.

Cancellation,
suspension; etc.
of certificate

- 13. (1) The Board may cancel any certificate on any one or more of the following grounds, namely:-
 - (a) that the holder of the certificate has violated any of the terms and conditions of the certificate; and
 - (b) that in the opinion of the Central Government it is necessary in the interests of general public to cancel the certificate.
- (2) where the Board, for reasons to be recorded in writing is satisfied that pending consideration of the question of cancelling the certificate on any grounds mentioned in subsection (1), it is necessary so to do, the Board may by order in writing suspend the operation of the certificate for such period not exceeding forty-five days as may be specified in the order and require the holder of the certificate to show cause, within fifteen days from the date of receipt of such order, as to why the suspension of the certificate should not be extended till the determination of the question as to whether the registration should be cancelled.
- (3) No order of cancellation of registration under this section shall be made unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard in respect of the grounds for such cancellation.

Appeal

- 14.(1) Any person aggrieved by an order made under section 13 may prefer an appeal to the Central Government within such period as may be prescribed.
- (2) No appeal shall be admitted if it is preferred after the expiry of the period prescribed therefor.

Provided that an appeal may be admitted after the expiry of the period prescribed therefor if the appellant satisfies the Central Government that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the prescribed period.

(3) Every appeal made under this section shall be made in such form and shall be accompanied by a copy of order appealed against and by such fees as may be prescribed.

(4) The procedure for disposing of an appeal shall be such as may be prescribed.

Provided that before disposing of an appeal, the appellant shall be given a reasonable opportunity of being heard.

(5) The Central Government may confirm, modify or reverse the order appealed against.

Power to permit
export without
certificate

15. The Central Government may, if satisfied that it is necessary or expedient, so to do, in public interest, by notification in the Official Gazette and subject to such conditions, if any, as may be specified there in, permit any body or other agency to commence or carry on the business of export of spices without a certificate.

CHAPTER - V

CONTROL BY THE CENTRAL GOVERNMENT

16. (1) The Central Government may, by order notified in the Official Gazette, fix in respect of cardamom of any discription specified therein

Power to control
price and distri-
bution of carda-
mom

(a) the maximum price or the minimum price, or the maximum and minimum prices, which may be charged by a grower of cardamom or cardamom dealer, wholesale or retail, whether for the Indian market or for export; and

(b) the maximum quantity which may in one transaction be sold to any person.

(2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1), any order made thereunder may provide-

(a) for requiring persons engaged in the production, supply or distribution of, or trade and commerce in cardamom to maintain and produce for inspection such books, accounts and records relating to their business and to furnish such information relating thereto as may be specified in the order; and

(b) for such other matters; including in particular the entering and search of premises, vehicles, vessels and aircraft, and seizure by a person authorised to make such search of cardamom in the respect of which such person has reason

- to believe that a contravention of the order has been, is being or is about to be committed.
- Power to prohibit or control import of Cardamom
17. The Central Government may, by order publish in the official Gazette, make provision for prohibiting, restricting or otherwise controlling the import of cardamom, either generally or in specified classes of cases.
- Power of the Central Government to issue directions
- 18.(1) Without prejudice to foregoing provisions of this Act, the Board shall, in the discharge of its functions and duties under this Act, be bound by such direction of questions of policy as the Central Government may give in writing to it from time to time;
- Provided that the Board shall as far as practicable, be given an opportunity to express its views before any direction is given under this sub-section.
- (2) The decision of the Central Government whether a question is one of policy or not shall be final.
- 19.(1) If at any time the Central Government is of opinion-
- Power of the Central Government to supersede the Board
- (a) that on account of grave emergency, the Board is unable to discharge the functions and duties imposed on it by or under the provisions of this Act; or
- (b) that the Board has persistently made default in complying with any direction issued by the Central Government under this Act or in the discharge of the functions and duties imposed on it by or under the provisions of this Act and as a result of such default the financial position of the Board or the administration of the Board has deteriorated; or
- (c) that circumstances exist which render it necessary in the public interest so to do,
- the Central Government may, by notification in the Official Gazette, supersede the Board for such period, not exceeding six months, as may be specified in that notification,
- (2) Upon the publication of a notification under sub-section (1) superseding the Board, -
- (a) all the members shall, as from the date of supersession vacate their offices as such;
- (b) all the powers, functions and duties which may, by or under the provisions of this Act, be exercised or discharged by or on behalf of the Board, shall until the Board, is reconstituted

under sub-section (3), be exercised and discharged by such person or persons as the Central Government may direct; and

- (c) all property owned or controlled by the Board shall, until the Board is reconstituted under sub-section (3), vest in the Central Government.
- (3) On the expiration of the period of supersession specified in the notification issued under sub-section (1), the Central Government may reconstitute the Board by a fresh appointment and in such case any person or persons who vacated their offices under clause (a) of subsection (2), shall not be deemed disqualified for appointment.

Provided that the Central Government may, at any time, before the expiration of the period of supersession, take action under this subsection.

- (4) The Central Government shall cause a notification issued under subsection (1) and a full report of any action taken under this section and the circumstances leading to such action to be laid before each House of Parliament at the earliest.

CHAPTER VI

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

- 20. The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law, in this behalf, made to the Board grants and loans of such sums of money as that Government may consider necessary.
- Grants and loans by the Central Government
- 21.(1) There shall be constituted a fund to be called the Spices Board Fund and there shall be credited thereto-
 - (a) any grants and loans made to the Board by the Central Government under section 20;
 - (b) all fees levied and collected in respect of certificates granted under this Act; and,
 - (c) all sums received by the Board from such other sources as may be decided upon by the Central Government.
- Board Fund
- (2) The Fund shall be applied for meeting-
 - (a) salary, allowances and other remuneration of the members, officers and other employees of the Board;
 - (b) expenses of the Board in the discharge of its functions under section 7; and
 - (c) expenses on objects and for purposes authorised by this Act.

- Budget 22. The Board shall prepare in such form and at such time each financial year, as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Board and forward the same to the Central Government.
- Annual Report 23. The Board shall prepare, in such form and at such time each financial year, as may be prescribed its annual report giving a full account of its activities during the previous financial year and submit a copy thereof to the Central Government.
- Accounts and audit 24. The accounts of the Board shall be maintained and audited in such manner as may, in consultation with Comptroller and Auditor General of India, be prescribed and the Board shall furnish to the Central Government before such date, as may be prescribed, its audited copy of accounts together with the auditor's report thereon.
- Annual report and auditor's report to be laid before Parliament. 25. The Central Government shall cause the annual report and auditor's report to be laid, as soon as may be after they are received, before each House of Parliament.

CHAPTER - VII

MISCELLANEOUS

- Penalty for making false returns 26. Any person who being required by or under this Act to furnish any return fails to furnish such return or furnishes a return containing any particulars which is false and which he knows to be false or does not believe to be true shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.
- Penalties for obstructing an officer or member of the Board in the discharge of his duties and for failure to produce books and records. 27. Any person who -
- (a) obstructs any member authorised by the Chairman in writing or any officer or other employee of the Board authorised by it in this behalf or any person authorised in this behalf by the Central Government or by the Board, in the exercise of any power conferred, or in the discharge or any duty imposed, on him by or under this Act; or
 - (b) having control over or custody of any account book or other record; fails to produce such book or record when required to do so by or under this Act.
- Shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both,

- Penalty for con-
travention of or-
der relating to
control of price,
etc.
28. (1) If any person contravenes any order made under section 16, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both; and the property in respect of which the order has been contravened or such part thereof as the Court may deem fit, shall be forfeited to the Central Government.
- (2) Any person who attempt to contravene, abets the contravention of any order under section 16 shall be deemed to have contravened that order.
- Penalties for
contravention
of section 11
or any order
made under
section 17. Act
52 of 1962.
29. If any person contravenes the provisions of section 11 or any order made under section 17 he shall, without prejudice to any confiscation or penalty to which he may be liable under the provisions of the Customs Act, 1962, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
- Other penalties
30. Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of this Act or of any rules or regulations made there under other than the provisions, punishment for the contravention whereof has been provided for in section 26, 27, 28 and 29, shall be punishable with imprisonment which may extent to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both, and in the case of a continuing contravention with an additional fine which may extend to fifty rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.
- Offences by
companies
- 31.(1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly;
- Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of,

any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation :- For the purpose of this section,

- | | | |
|--|-----|--|
| Provisions of Act 52 of 1962 to apply to export of spices and import of cardamom | 32. | <p>(a) “company” means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and</p> <p>(b) “director”, in relation to a firm, means a partner in the firm</p> <p>(a) All spices to which section 11 of this Act applies, and</p> <p>(b) the cardamom to which any order under section 17 of this Act applies,</p> <p>Shall be deemed to be goods of which the import or export has been prohibited or restricted under section 11 of the Customs Act, 1962, and all the provisions of that Act shall have effect accordingly.</p> |
| Previous sanction of the Central Government | 33. | No prosecution for any offence punishable under this Act shall be instituted except with the previous sanction of the Central Government. |
| Delegation | 34. | The Board may, by general or special order in writing, delegate to the Chairman or any other member or to any officer of the Board, subject to such conditions and limitations if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under this Act (except the power under section 39) as it may deem necessary. |
| Members, officers and employees of the Board to be public servants. Act 45 of 1860 | 35. | All members, officers and other employees of the Board shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code. |
| Protection of action taken in good faith | 36. | No prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government, or the Board or any committee appointed by it, or any member of the Board or such committee, or any officer or employee of the Government or the Board or any other person authorised by the Government or the Board for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules or regulations made thereunder. |
| Power to enter | 37. | Subject to any rule made in the behalf, any person, generally or specially authorised by the Board in this behalf, may whenever it is necessary so to do, for any of the purposes of this Act, at all reasonable times, enter upon any land or premises and make any inspection or inquiry or do such other Act or thing as may be prescribed; |

Provided that no such person shall enter any building or any enclosed courtyard or garden attached to a dwelling-house (unless with the consent of the occupier thereof) without previously giving such occupier at least twenty-four hours' notice in writing of his intention to do so.

- Power to make rules
- 38.(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purpose of this Act.
- (2) Without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-
- (a) the number of members of the Board under sub-section (3) of section 3;
 - (b) the term of office and other conditions of service of the members of the Board under sub-section (5) of section 3;
 - (c) The powers and duties of the Chairman under sub-section (6) of section 3;
 - (d) the powers and functions of the Vice-Chairman under subsection (7) of section 3;
 - (e) the constitution of committees under section 5;
 - (f) the terms and conditions for giving licences to manufacturers of spices for export under clause (viii) of sub-section (1) of section 7;
 - (g) the form and manner in which and the time at which the registered owner may furnish returns to the Board under section 10;
 - (h) the form of the application and the fees under sub-section (1) of section 12;
 - (i) the period of limitation for appeal under sub-section (1) of section 14;
 - (j) the form of appeal and the fees payable under sub-section (1) of section 14;
 - (k) the procedure for disposal of appeal under sub-section (4) of section 14;
 - (l) the form in which, and the time at which, the Board shall prepare its budget under section 22 and its annual report under section 23;
 - (m) the manner in which the accounts of the Board shall be maintained and audited and date before which the audited copy of the accounts may be furnished to the Central Government under section 24;

- (n) the conditions and restrictions with respect to the exercise of the power to enter under section 37;
 - (o) any other matter which is to be, or may be, prescribed or in respect of which provision is to be, or may be, made by rule.
- 39.(1) The Board may, with the previous approval of the Central Government, by notification in the Official Gazette, make regulations consistent with this Act and the rules generally to carry out the purposes of this Act.
- Power to make regulations
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-
- (a) the terms and conditions of service of the Secretary and other officers and employees of the Board under sub-section (2) of section 4; and
 - (b) the terms and conditions under which the certificate may be granted under sub-section (2) of section 12.
40. Every rule and every regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive session aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulation or both Houses agree that the rule or regulation should not be made the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation.
- Rules and regulations to be laid before Parliament
- 41.(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the Central Government may, by order, publish in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty;
- Power to remove difficulties
- Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.
- (2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.

Repeal and
savings.
Act 42 of
1965

- 42.(1) Sections 3 to 33 of the Cardamom Act, 1965 are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the said Act shall in so far as such thing or action is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the provisions of this Act as if the said provisions were in force when such thing was done or such action was taken and shall continue in force accordingly until superseded by anything done or any action taken under this Act.

THE SCHEDULE

[See Section 2 (n)]

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Cardamom | 27. Pepper long |
| 2. Pepper | 28. Star Anise |
| 3. Chilly | 29. Sweet flag |
| 4. Ginger | 30. Greater Galanga |
| 5. Turmeric | 31. Horse-raddish |
| 6. Coriander | 32. Caper |
| 7. Cumin | 33. Clove |
| 8. Fennel | 34. Asafoetida |
| 9. Fenugreek | 35. Cambodge |
| 10. Celery | 36. Hyssop |
| 11. Aniseed | 37. Juniper berry |
| 12. Bishopsweed | 38. Bay leaf |
| 13. Caraway | 39. Lovage |
| 14. Dill | 40. Marjoram |
| 15. Cinnamon | 41. Nutmeg |
| 16. Cassia | 42. Mace |
| 17. Garlic | 43. Basil |
| 18. Curry leaf | 44. Poppy Seed |
| 19. Kokam | 45. All-Spice |
| 20. Mint | 46. Rosemary |
| 21. Mustard | 47. Sage |
| 22. Parsley | 48. Savory |
| 23. Pomegranate seed | 49. Thyme |
| 24. Saffron | 50. Oregano |
| 25. Vanilla | 51. Tarragon |
| 26. Tejpat | 52. Tamarind |

In any form including curry powders, spice oil, oleoresins and other mixtures where spice content is predominant.

S. No. 27 to 52 added vide notification S. O. No. 3130 dated 8.11.1990.

The Spices Board Rules, 1987

GSR No. 115(E) In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, namely;

CHAPTER - I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement:-

- (1) These rules may be called the Spices Board Rules, 1987.
- (2) * They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Spices Board Act 1986 (10 of 1986);
- (b) "Board" means the Spices Board constituted under section 3 of the Act;
- (c) "Committee" means any of the committee appointed by the Board under Section 5;
- (d) "Form" means a form appended to these rules;
- (e) "Secretary" means Secretary to the Board appointed under section 4;
- (f) "Section" means a section of the Act;
- (g) "Vice-Chairman" means Vice-Chairman of the Board;
- (h) "Year" means the year commencing on the first day of April;
- (i) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them.

3. Office of the Board

The Office of the Board shall be located in Cochin, Kerala State

* The Spices Board Rules 1987 were published in the Gazette of India, Extra - Ordinary dated 26 February 1987 in Part II Section 3 - Sub Section (i).

CHAPTER II

THE BOARD AND ITS COMMITTEES

4. Constitution of the Board and the manner of filling vacancies among members

- (I) The composition of the Board shall be as follows:-
- (a) Chairman;
 - (b) three members of Parliament, of whom two shall be elected by the House of the People and one by the Council of States;
 - (c) three members to represent respectively the Ministries of the Central Government dealing with
 - (i) Commerce;
 - (ii) Agriculture, and
 - (iii) Finance;
 - (d) *seven members to represent growers of spices;
 - (e) *ten members to represent the exporters of spices;
 - (f) **three members to represent the major spice producing States;
 - (g) four members, one each, to represent the following;
 - (i) *** The Planning Commission;
 - (ii) The Indian Institute of Packaging, Bombay;
 - (iii) The Central Food Technological Research Institute, Mysore;
 - (iv) *** The National Research Centre for Spices, Calicut.
 - (h) one member to represent spices labour interests.

* Amended as per Govt. of India, Ministry of Commerce Notification No. GSR 74(E) dated 15 February 1990.

** Amended vide Government of India, Ministry of Commerce Notification No. 661 (E) dated 17 July 1987.

*** Amended as per Govt of India, Ministry of Commerce, Notification No. GSR 74(E) dated 15 February 1990.

- (1) A. * The Chairman shall be a person in the grade of the Joint Secretary to the Government of India and his appointment shall be made in consultation with the Establishment Officer of the Department of Personnel and Training, Ministry of Home Affairs, Government of India.
- (2) The Central Government may make such consultations as it thinks fit before appointing representatives of the interests specified in clauses (d) to (h).

5. Term of office of members:-**

- (1) Save as hereinafter provided, a member of the Board shall hold office for such period not exceeding three years from the date of his appointment as may be specified in the notification appointing him as such:

Provided that a member elected or appointed under sub-rule (1) rule 4 shall cease to be such member if he ceases

- (i) to be a member of the House of Parliament by virtue of which he was elected;
- (ii) to hold the office by virtue of which he was appointed; or
- (iii) to represent the category from which he was appointed;
- (2) A member elected or appointed to fill a casual vacancy shall hold office so long as the member whose place he fills would have been entitled to hold office if the vacancy had not occurred.
- (3) *** “The Central Government may re-appoint a member of the Board for not more than two terms of office”.

6. Membership roll:

The Secretary shall keep a record of the names of members and their addresses.

7. Change of Address

A member shall keep the Secretary informed of any change in his address promptly. If he fails to inform the change of address, the address in the official records shall for all purposes be deemed to be his address.

* Amended vide Government of India, Ministry of Commerce Notification No. 397 dated 29 June 1990.

** Amended vide Government of India, Ministry of Commerce Notification No. 661 (E) dated 17 July 1987.

*** Amended Vide Govt. Notification G. S. R. 340(E) dated 29.3.93

8. Resignation:

- (1) A member may resign his office by a letter addressed to the Chairman.
- (2) The office of a member shall fall vacant from the date on which the resignation of such member is accepted or on expiry of thirty days from the date of the receipt of resignation by the Chairman, whichever is earlier.
- (3) The Chairman shall communicate the acceptance of the resignation of the member to the Board at its next meeting

9. Removal of Members:

The Central Government may remove any member from office:-

- (a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or
- (b) if he is an undischarged insolvent; or
- (c) if he is convicted of an offence involving moral turpitude; or
- (d) if, without the leave of the Chairman, he fails to attend three consecutive meetings of the Board; or
- (e) if he defaults in payments of any dues to the Board and is so declared by the Board.

10. Vice - Chairman:

- (1) The Board shall each year elect from among its members a member to be the Vice - Chairman of the Board for a period of twelve months commencing from the date of his election or, if the election is held before expiry of the term of office of an existing Vice-Chairman, from the date on which such Vice-Chairman shall vacate office.
- (2) In the event of the Vice-Chairman resigning his office as such or ceasing to be a member of the Board, the Board shall at its next meeting elect another member to be the Vice-Chairman for the unexpired portion of the term of Office of the Vice-Chairman elected under subrule (1).
- (3) If, however, the election is not held within a period of twelve months, the existing Vice-Chairman shall continue to hold office till the election is held.

11. Appointment of Committees:

- (1) The Committees appointed by the Board under section 5 may be either Executive or Advisory in character and shall exercise such powers and discharge such functions of the Board as may be decided by the Board in conformity with the provisions contained in the Act and these rules.

(2) The Board shall appoint every year the following Standing Committees to exercise such powers and discharge such functions as may be assigned to it under these Rules, namely :-

(i) Executive Committee:

This Committee shall consist of:

- (a) the Chairman of the Board who shall be the ex-officio Chairman of the committee;
- (b) the Vice-Chairman;
- (c) *one of the members appointed under clause(f) of sub-rule (1) of rule 4 to be nominated yearly by rotation.
- (d) the member representing the Ministry of Central Government dealing with Finance;
- (e) The Secretary
- (f) a member to be elected from among the members referred to in clause (d) of sub -Rule (1) of Rule 4.
- (g) a member to be elected from among the members referred to in clause (e) of sub-Rule (1) of Rule 4

(ii) Research and Development Committee for Cardamom:

This committee shall consist of:-

- (a) the Chairman of the Board who shall be the ex-officio Chairman of the Committee;
- (b) the Vice Chairman;
- (c) **one of the members appointed under clause (f) of sub-rule (1) of rule 4 to be nominated yearly by rotation.
- (d) the member representing the Ministry of Central Government dealing with Agriculture;
- (e) one member to represent ELETTARIA CARDAMOM MATON growers;
- (f) one member to represent AMOMUM SUBULATUM ROXB growers;
- (g) ***The National Research Centre for Spices, Calicut;
- (h) officer of the Board in-charge of Cardamom Research;
- (i) officer of the Board in-charge of Cardamom Development;

* Amended vide Government of India Ministry of Commerce Notification No. 661(E) dated 17th July 1987.

** Amended Vide Government of India, Ministry of Commerce Notification No. G. S. R. 503(E) dated 2nd May 89.

*** Amended as per Govt. of India, Ministry of Commerce, Notification No. G. S. R. 74(E) dated 15th February 1990

- (j) * a member to be elected from among the members referred to in clause (e) of sub-Rule (1) of Rule 4.

(iii) Market Development Committee for Spices:

This Committee shall consist of:

- (a) The Chairman of the Board who shall be the ex-officio Chairman of the Committee;
 - (b) The Vice-Chairman;
 - (c) the Director, Central Food Technological Research Institute, Mysore;
 - (d) the member representing the Ministry of Central Government dealing with Commerce;
 - (e) three members to represent trade interests to be appointed by the Board from among themselves;
 - (f) an officer of the export Inspection Agency of India appointed by the Board;
 - (g) the officer of the Board dealing with Spices Market Development;
 - (h) ** two members to be elected from among the members referred to in clause (d) of sub Rule (1) of Rule 4.
- (3) The Board may appoint such other committees from time to time as may be deemed necessary.
- (4) The Chairman of any committee appointed by the Board may require any officer of the Board or invite any person or persons to attend such meetings of the committee but such person or persons shall have no power to vote.

12. Functions of the Committees:

- (a) Executive Committee:

This committee shall exercise the following functions:-

- (i) Such administrative matters as are delegated by the Board;
- (ii) Registration of traders and exporters, examination and acceptance of returns to be made by registered owners of estates, farms, gardens, processing units, publications of the statistics so collected, or of any portions thereof or extracts therefrom;
- (iii) Any other function assigned by the Board.

* Amended vide Govt. of India, Ministry of Commerce Notification No. GSR 503 (E) dated 2nd May 89.

** Amended vide Government of India, Ministry of Commerce Notification No. GSR 503 (E) dated 2nd May 1989 read with corrigendum No. GSR 47 dated 5th January 1990.

- (b) **Research and Development Committee for Cardamom**
This committee shall exercise the following functions:-
- (i) formulation of projects for the development of cardamom;
 - (ii) reviewing implementation of development projects;
 - (iii) assigning priorities for research work to be undertaken by the Board;
 - (iv) reviewing progress of research;
 - (v) any other function assigned by the Board.
- (c) **Market Development Committee for Spices:**
This Committee shall exercise the following functions:
- (i) monitoring of auctions of spices;
 - (ii) formulation of projects for market development in internal markets and for exports;
 - (iii) review of the market conditions relating to Spices;
 - (iv) recommend to Board such matters as are necessary for streamlining of marketing of spices;
 - (v) any other function assigned by the Board.

13. Provision for constitution of a special committee:-

The Board may set up a special committee for undertaking a specific work connected with its functions and appoint members including Chairman for such a committee.

CHAPTER - III

POWERS AND DUTIES OF CHAIRMAN

14. Powers and duties of the Chairman:

The Chairman shall have the following powers and duties:-

- (i) to grant leave to officers and employees of the Board including the Secretary;
- (ii) to prescribe duties of all officers and staff of the Board and exercise such supervision and disciplinary control as may be necessary;
- (iii) to sanction expenditure for contingencies, supplies and services and purchase of articles required for the working of the office of the Board;
- (iv) to require the Board or any Committee thereof to defer taking action in pursuance of any decision taken by the Board or the committee as the case may be pending a reference to the Central Government on such decision;
- (v) to take decision in respect of matters that cannot wait disposal by the Board or a Committee, as the case may be. The action taken by the Chairman shall be put up to the Board for post facto approval at its next meeting.

Provided that where the Board modifies or reverses the decision taken by the Chairman, such modification or reversion shall be without prejudice to the validity of any action taken before such modification or reversion.

CHAPTER - IV

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Application for certification:

- 15.(1) An application for grant of certificate under section 12 shall be made to the Board in Form I.
- (2) Every application for grant of certificate of registration shall be accompanied by a receipt evidencing the payment of fee of rupees two thousand for a block period of three years ending on the 31st August or part thereof. Renewal fee for such period shall be rupees one thousand.¹
- 15(A)(1) ²An exporter of spices who has his own or taken on rent or leased premises having facilities for cleaning, grading, processing, warehousing and packing as given in the Schedule annexed to these rules, may apply to the Board in Form-VI for grant of a Spice House Certificate. The Board on being satisfied as to the facilities available in the premises owned or taken on rent or lease for a period of not less than three years, shall issue a certificate in Form VII. If on inspection at any time, it is found that the exporter does not have such facilities, the Spice House certificate issued to him shall be cancelled.
- (2) The Spice House Certificate shall be valid for three years from the date of issue.
- Provided that the certificate shall be invalid for the period the exporter does not hold a valid Exporter Registration Certificate. Provided further that the certificate shall be renewed if the exporter maintains the facilities referred to in sub-rule (1).

Appeal

- 16.(1) Any person aggrieved by an order of the Board made under section 13 may, within sixty days from the date of making of such order, appeal to the Central Government.
- (2) Every appeal made under sub-section (1) shall be made in Form II and shall be accompanied by a copy of order appealed against and a receipt evidencing the payment of fee of rupees twenty five.
- (3) On receipt of appeal under sub-rule (1), the Central Government shall, after giving a reasonable opportunity to the appellant of being heard, pass such order as it may deem fit.

¹Amended by Govt. of India Notification No. GSR 661(E) dated 19.10.93 issued on F No. 7/2/93 EP (Agri V)

²Amended by Govt. of India Notification No. GSR 636 (E) dt. 10th Sept. 2002.

CHAPTER - V

FINANCE, BUDGET AND ACCOUNTS OF THE BOARD

17. Budget Estimates:

- (1) The Board shall, in each financial year, prepare a budget for the Spices Board for the next financial year and shall submit it for sanction to the Central Government on or before such dates as may be appointed from time to time by the said Government.
- (2) No expenditure shall be incurred until the budget is sanctioned by the Central Government and the sanction for that expenditure by the competent authorities is received.
- (3) The budget shall include a statement of:-
 - (i) the estimated opening balance;
 - (ii) the estimated receipts referred to in sub-section (1) of Section 21 of the Act;
 - (iii) the estimated expenditure classified under the following heads and sub-heads or such other heads and sub-heads as the Central Government may from time to time direct, namely:-

Heads:-

- a) Administration
- b) Production in respect of cardamom development
- c) Market Development
- d) Research
- e) Promotion and Publicity
- f) Statistics
- g) Works
- h) Promoting co-operative efforts for marketing of Spices
- i) Financial or other assistance in respect of spices for exports
- j) Plantation welfare

Sub-heads

- i) Pay of officers
 - ii) Pay of establishment
 - iii) Allowances, honoraria and the like; and
 - iv) Other charges contingencies and the like.
- (4) Supplementary estimates of expenditure, if any, shall be submitted for the sanction of the Central Government in such form and on such dates as may be directed by it in this behalf.

18. Accounts and Audit:-

- * 1. The Board shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare annual Income and Expenditure Statement and Balance Sheet in Forms IV, V prescribed by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.
- 2. The accounts of the Board shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India at such intervals as may be prescribed by him.
- 3. The Comptroller and Auditor General of India shall have the same rights and privileges and authority in connection with the audit of the accounts of the Board as he has in connection with the audit of general accounts and, in particular, shall have the right to demand production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Board.
- 4. The accounts of the Board as certified by the Comptroller and Auditor General of India together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before each House of Parliament at a date not later than the dates specified in this behalf by the Central Government.

19. Payment of fees:

Any fees or amount payable to the Board under the Act or these rules shall be paid either by money order or demand draft drawn in favour of the Board or by Indian Postal Order payable to the Board at a Post Office in Cochin.

20. Annual Report

The annual report of the Board on its activities for every year shall be submitted to the Central Government as soon as possible after the close of the year, and, in any case not later than 30th September for being laid on the Tables of both Houses of Parliament.

CHAPTER VI

RETURN TO BE SUBMITTED TO THE BOARD BY REGISTERED OWNER

- 21.(1) Every registered owner shall submit an annual return in respect of each estate owned by him in Form III to the Board for the period from 1st August to 31st July every year. The return shall reach the Board by 16th** August every year.
- (2) Non-submission of the returns in time will be punishable under section 26 of the Act.

* Amended vide Govt. of India Ministry of Commerce Notification No. G. S. R. 503 (E) dated 2 May 89.

** Amended vide Govt. of India, Ministry of Commerce Notification No. GSR 397 dated 29 June 1990

4. Date of Establishment Date Month Year

5. I.E. Code Number

(Attach self attested copy)

Date of issue

Place of issue

6. Sales Tax Registration
Attach self attested copy

GST

Date of issue

Place of issue

CST

Date of issue

Place of issue

*7. Permanent Account No. PAN

8. Indicate whether the application is for renewal of the existing certificate or for a Renewal New new certificate

(Please ✓ where appropriate)

If for renewal, indicate

Certificate No.

Date of issue

Place of issue

Details of spices exported during the last three financial years

| Year (April-March) | Name of Spices | Quantity exported (MT) | FOB value (Rs. Lakhs) |
|--------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

9. Details of fee remitted

Amount

Rs.

Mode of payment

(Please ✓ where appropriate)

Cash

Demand Draft

c. Category (Please ✓ where appropriate) [Attach details of share holding pattern and capital to support the category]

| Size | Type | Ownership |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Small scale industry | <input type="checkbox"/> Private sector | <input type="checkbox"/> Multinational Corporation |
| <input type="checkbox"/> Medium scale industry | <input type="checkbox"/> Public sector | <input type="checkbox"/> Fully Indian owned company |
| <input type="checkbox"/> Large scale industry | <input type="checkbox"/> Co-operative | <input type="checkbox"/> Joint venture |
| <input type="checkbox"/> Others (specify) | <input type="checkbox"/> Others (specify) | <input type="checkbox"/> Others (specify) |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

d. Is the processing unit a 100% EOU (Please ✓ where appropriate) Yes No

e. Location EPZ SEZ

Address

Building No.

Building Name

Street

City PIN

State

f. Facilities available (Please ✓ where appropriate)

| | |
|----------------|--------------------------|
| Cleaning | <input type="checkbox"/> |
| Grading | <input type="checkbox"/> |
| Sieving | <input type="checkbox"/> |
| Milling | <input type="checkbox"/> |
| Distillation | <input type="checkbox"/> |
| Extraction | <input type="checkbox"/> |
| Sterilization | <input type="checkbox"/> |
| Packaging | <input type="checkbox"/> |
| Others | <input type="checkbox"/> |
| Please specify | <input type="text"/> |

c) Spice products exported/proposed to export with the above brand

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

16. Countries to which exported / intended to export

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

DECLARATION

I/We declare that the information given above are true to the best of my/our knowledge and belief and that I/We shall abide by the Spices Board Rules, 1987, the conditions laid down in the Spices Board (Registration as Exporter) Regulation 1989 and any instruction given by the Board from time to time regarding the conducting of business.

Signature

Place:

Name

Date:

Designation

(Seal)

- Note: 1. Application should be accompanied with prescribed fee and other documents.
2. Fee once paid will not be refunded under any circumstances.
3. Details of exports should be given separately for each of the spice.”

* Amended vide Govt of India Notification No. 106 dated 21-6-2004

FORM - II

(See Rule 16)

Appeal against refusal to grant Certificate of Registration for commencing/carrying on the business of export of any spice.

To

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Commerce,
New Delhi

The petition of/.....exporter(s) carrying on business or profession.....at

Your petitioner(s) applied; to (obtained sanction from) the Secretary of the Spices Board under Rule 15(1) of the Spices Board Rules for grant of Certificate under section 12 of the Spices Board Act 1986 for commencing or carrying on the business of export of any spice. The Secretary of the Spices Board has refused to grant such a certificate (withdrawn such a certificate already granted) for the reasons stated in his Order dated.....of which a copy is attached.

For the reason set out below your petition (s) submit (s) that the Certificate should be granted/ not be withdrawn and pray(s) that the Ministry of Commerce may be pleased to direct the Secretary of the Spices Board to grant the necessary Certificate/not to withdraw the Certificate

Grounds of Appeal

- 1.
 - 2.
 - 3.
- etc.

Date:

We/I the petitioner(s) named in the above petition do declare that what is stated therein is true to the best of our/my information and belief.

Signature

Address of the Applicant

.....
.....
.....

Notes: (1) Delete the inappropriate words or letters

- (2) The appeal should be accompanied by a fee of rupees twenty five. *It is suggested that the fee should be credited in the treasury or a branch of the Reserve Bank of India obtaining a chalan from the Secretary of the Spices Board and the triplicate chalan sent to the Ministry with the appeal. The Ministry will not accept cheques, drafts, hundies or other negotiable instruments.

* Amended vide Govt. of India, Ministry of Commerce Notification No. GSR 503 (E) dated 2 May 89.

FORM - III

(See Rule 21)

Form of return to be submitted by Registered Cardamom Estate Owners

1. Name and Postal address of the Estate Owner :
2. Name of the Estate :
3. Name of District/Taluk/Village in which the Estate is located :
4. Survey Numbers :
5. Registration No. & Date :
6. Registered area under cardamom :
7. Area abandoned as on 31.7.19 :
8. New extension of area as on 31.7.19 :
9. Total area under cardamom as on 31.7.19 :
10. Area under other crops as on 31.7.19 :
11. Area under Roads/Buildings/waste land as on 31.7.19 :
12. Total area of the Estate as on 31.7.19 (Total col. 9 10 11) :
13. Area replanted under cardamom during the year ending 31.7.19 :
14. Production of cardamom during the year ending 31.7.19 :
15. Number of labourers
 - a. Permanent.
 - b. Temporary
16. Amenities provided for the labourers
 - a. Hospitals
 - b. School
 - c. Labour lines
 - d. Others (Specify)

FORM - IV

(See Rule 18)

SPICES BOARD, COCHIN - 682 025

INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED

| Expenditure | Rs. | Ps. | Rs. | Ps. | Income | Rs.Ps. | Rs.Ps. |
|---|-----|-----|-----|-----|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Administration No. | | | | | 1. Proceeds of cess made over to the Board under Sec. 21 of the Spices Board Act. Less : Amount utilised for acquisition of the fixed assets. | | |
| Publicity & Propaganda | | | | | 2. Grant-in-aid paid to the Board by Government of India under Sec-20 of the Spices Board Act. Less : Amount utilised for acquisition of the fixed assets. | | |
| Market Promotion | | | | | 3. Grant in-aid received from other Agencies. 4. Fees levied in respect of licences issued under the Act. | | |
| Statistics | | | | | 5. Proceeds of sale of Cardamom seedlings. | | |
| Plantation labour welfare Research (Small Cardamom) | | | | | 6. Interest on loans granted to planters. | | |

| Expenditure | Rs. | Ps. | Rs. | Ps. | Income | Rs.Ps. | Rs.Ps. |
|--|-----|-----|-----|-----|--|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Development (Small Cardamom) | | | | | 7. Subscription to periodicals, advertisements, receipts, sale of cardamom from Research farms, proceeds of promotional sale of cardamom and other miscellaneous receipts etc. | | |
| Research (Large Cardamom) | | | | | | | |
| Development (Large Cardamom) | | | | | | | |
| Others | | | | | | | |
| Depreciation as per Schedule appended. | | | | | | | |

FORM - V

(See Rule 18)

SPICES BOARD COCHIN - 682 025

BALANCE SHEET AS ON

| | Rs. | Ps. | Rs. | Ps. | Rs. | Ps. | Rs. | Ps. |
|---|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|
| Liabilities | | | | | Assets | | | |
| Loans taken from Government of India | | | | | Closing Balance | | | |
| Outstanding Liabilities | | | | | Outstanding Receipts | | | |
| Amount of Cess and Grants utilised for acquisition of fixed assets as on..... | | | | | | | | |
| Add : Amount utilised during | | | | | Prepaid expenditure | | | |
| Reserve and surpluses | | | | | Advance to staff loans to planters | | | |
| | | | | | Co-operation | | | |
| | | | | | Land & Buildings | | | |

| Liabilities | Rs. | Ps. | Rs. | Ps. | Assets | Rs. | Ps. | Rs. | Ps. |
|--|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | Motor vehicles | | | | |
| | | | | | Furniture & Fittings | | | | |
| | | | | | Laboratory Equipments | | | | |
| | | | | | Research (Small Cardamom) | | | | |
| | | | | | Research (Large Cardamom) | | | | |
| | | | | | Other Assets | | | | |
| | | | | | Publicity Research (Small Cardamom) | | | | |
| | | | | | Departmental Nursery Scheme | | | | |
| Excess of Income over Expenditure as on..... | | | | | Research (Large Cardamom) | | | | |
| Less : Excess of expenditure over | | | | | | | | | |
| Income during | | | | | Development (Large Cardamom) Seed Farms. | | | | |

10. General hygienic facilities Available (Please ✓ where appropriate)
 (Please read the schedule attached before filling)

- i) Washing facilities Yes No
- ii) Detergents Yes No
- iii) Towels Yes No
- iv) Dressing room for workers Yes No
- v) Toilet facilities for males Yes No
- vi) Toilet facilities for females Yes No
- vii) Head gears for workers Yes No
- viii) Mouth cover for workers Yes No
- ix) Facilities for disposal of waste material Yes No
- x) Any other facilities (specify) Yes No

| |
|--|
| |
|--|

11. Product for which Spice House Certificate is applied for
 (Separate application for each spice product is required)

12. Facilities available
 Furnish details of facilities with equipment/machinery. If required attach additional sheet.

| | |
|---------------|--|
| A. Cleaning | |
| B. Drying | |
| C. Processing | |

| | |
|---------------------|----------------------|
| D. Grading | |
| E. Packaging | |
| | Unit weight of packs |
| | Packing material |
| F. Ware housing | |
| G. Quality control | |
| H. Others (specify) | |

DECLARATION

I/We, declare that the information given above are true to the best of my/our knowledge and belief. I/We have carefully read the provisions of the Spices Board Rules, 1987 and shall abide by them.

Signature

Name

Designation”

Place:

Date:

FORM VII

(See Rule 15A)

SPICE HOUSE CERTIFICATE

SPICES BOARD

(Ministry of Commerce, Government of India, Cochin - 25)

Number.....

45

M/s..... exporter of spices having Exporter Registration number are hereby granted this Spice House certificate on the basis of their facilities for cleaning, processing, grading, warehousing, packaging of spices/spice products.

This Certificate is valid up to the.....day of.....

Place : Cochin

Officer authorised by the Board

Date :

(Seal)

No. “2SCHEDULE

Minimum facilities required for spices and spice products processing units to qualify for Spice House Certificate

I. PROCESSING:-

| | |
|--|---|
| 1) Premises and surroundings | The surroundings shall be clean to avoid physical, chemical and microbial contamination and any hazard to the product in process or to the personnel employed in the unit. The immediate approaches to the premises shall be hard surfaced to prevent wind blown dust. |
| 2) Building: | The building shall be of permanent nature with adequate lighting, providing protection from climatic hazards and laid out to prevent cross contamination of the material. Residential areas shall be separate to preclude contamination. Adequate measures shall be provided to protect food handling areas from insects, rodents and animals. Ceiling, walls and floor shall be smooth, impermeable to water and cleanable. The doors and windows shall be aligned properly and provided with insect proofing. Suitable exhaust vents shall be provided. |
| 3) Change rooms: | There shall be separate change rooms for male and female workers near the entrance of the work area with required facilities. Clean working clothes, aprons, headgears and mouth covers should be provided/used while engaged in any process in the unit. |
| 4) Machineries and Equipments: | There shall be suitable machinery for processing of spices in adequate number and capacity depending upon the raw material, process technology adopted and finished product. Machineries shall be kept in good conditions, well maintained. |
| 5) Utensils, Work tables and containers: | Utensils, Work tables and containers used for edible materials shall be smooth, corrosion resistant and easy to clean. Utensils used for edible materials and non-edible materials shall be separate and shall be identified as such. |
| 6) Boiler: | If steam is required for processing, boiler of suitable capacity shall be installed and shall meet the statutory regulation applicable to it. |
| 7) Water: | Water used for processing and for sanitation purposes shall be potable and shall meet the relevant ISI specifications. |
| 8) Effluent treatment: | There shall be suitable effluent treatment system meeting the relevant statutory regulations. |

| | |
|-----------------|---|
| 9) Maintenance: | There shall be documented maintenance schedule for the premises, building, machinery, instruments attached to machinery and monitoring and testing devices shall be calibrated. |
| 10) Toilets: | There shall be adequate number of sanitary type toilets, with running water. |

II. CLEANLINESS, SANITARY AND HYGIENIC STANDARDS:

| | |
|---|--|
| 1) Hygiene of Personnel | a) The highest possible cleanliness shall be observed by personnel directly handling spices, food contact surfaces and packing material. Personnel shall be free from contagious diseases. |
| 2) Hygiene in the unit | b) Food contact areas, floors, walls, partitions, ceilings and roof linings, machinery, equipments, utensils, toilets, sanitation facilities etc shall be kept clean and in good condition. The processing premises should be free from rodents, pests, insects, vermin, birds and animals and pets and the same should be documented. Rodenticides, pesticides, etc used shall not contaminate the area and shall be handled only by trained personnel. |
| 3) Control of contamination from metal, glass, etc. | There shall be properly documented policy to control contamination from metal, glass, etc. All lighting should have proper protection covers. |

III. WAREHOUSING FACILITIES:

| | |
|--|---|
| 1) Raw material/ Finished goods storage: | There shall be raw material godown(s) of adequate space having tightly fitting doors, smooth floor and walls. Finished goods store shall have adequate facility including environmental conditions as required depending upon the material. Rodent and pest control arrangements shall be available in the storage. |
| 2) Drying yard: | If mechanical dryers are used the same shall be suitable and of adequate capacity. If the fuel used is other than electricity, there shall not be any chance for contamination by the fuel material. In the absence of mechanical dryer of adequate capacity, there shall be drying yard of adequate space and the drying yard shall be smooth, having sufficient and suitable slope with facility for protection from birds and animals. The yard shall be skirted and there shall be facility for sanitizing feet and hand at the entrance. |

IV. QUALITY ASSURANCE

| | |
|---------------|---|
| 1) Labroatory | There shall be a laboratory with adequate testing facility depending upon the raw material, process, and product. The laboratory shall be manned by qualified and experienced technical personnel. Test reports shall be documented in proper registers. Raw materials, in process and finished products shall be subject to regular tests and registers maintained shall document the analytical data. |
|---------------|---|

V. PACKAGING & GRADING:

| | |
|-----------|--|
| Packaging | There shall be a well laid out packaging system either automatic or semi automatic which would minimize the direct contact with the contents of the packaging to ensure that there is not contamination. There shall be facilities for grading the spice produce/products of different specifications. |
|-----------|--|

VI. CERTIFICATION REQUIREMENTS:

| | |
|----------------------------|---|
| Certification requirements | The unit shall be certified under ISO 9000 and HACCP/GMP by any of the approved agencies, provided that holders of Spice House Certificate may be given relaxation of this condition for a maximum period of one year from the date of the notification.” |
|----------------------------|---|

[F. No. 5/1/2002-EP (Agri-V)]
S.S. KAPUR, Jt. Secy.

NOTE: The principal rules were published in the Gazette of India vide No. GSR 115 (E) dated 26th February, 1987 and have been amended vide notifications:-

- (1) notification No. GSR 661 (E) dated 17th July, 1987;
- (2) notification No. GSR 503 (E) dated 2nd May, 1989;
- (3) notification No. GSR 47 (E) dated 5th January, 1990;
- (4) notification No. GSR 74 (E) dated 15th February, 1990;
- (5) notification No. GSR 397 (E) dated 29th June, 1990;
- (6) notification No. GSR 340 (E) dated 29th March, 1993;
- (7) notification No. GSR No. 661 (E) dated 19th October, 1993.
- (8) ¹ & ² notification No. GSR No. 636 (E) dated 10th September 2002

The Spices Board Act, 1986

CONTENTS

CHAPTER -1

PRELIMINARY

| SECTIONS | Page |
|---|-------------|
| 1. Short title, extent and commencement | 1 |
| 2. Definitions | 1 |

CHAPTER - II

THE SPICES BOARD

| | |
|--|---|
| 3. Constitution and incorporation of Board | 2 |
| 4. Secretary and other officers | 4 |
| 5. Advisory Committees | 4 |
| 6. Transfer of assets and liabilities of the Cardamom Board and the Spices Export Promotion Council to the Board | 4 |
| 7. Functions of the Board | 5 |

CHAPTER - III

REGISTRATION OF OWNERS OF CARDAMOM ESTATES

| | |
|---|---|
| 8. Registration of owners of cardamom estates | 6 |
| 9. Power of State Government to make Rules | 7 |
| 10. Returns to be made by registered owners | 7 |

CHAPTER - IV

CERTIFICATE FOR EXPORT OF SPICES

| | |
|--|---|
| 11. No person to export spices without certificate | 7 |
| 12. Grant of certificate | 7 |
| 13. Cancellation, suspension, etc. of certificate | 8 |
| 14. Appeal | 8 |
| 15. Power to permit export without certificate | 9 |

CHAPTER - V

CONTROL BY THE CENTRAL GOVERNMENT

| | |
|---|----|
| 16. Power to control price and distribution of cardamom | 9 |
| 17. Power to prohibit or control import of cardamom | 10 |

| | |
|--|----|
| 18. Power of the Central Government to issue directions | 10 |
| 19. Power of the Central Government to supersede the Board | 10 |

CHAPTER - VI

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

| | |
|---|----|
| 20. Grants and loans by the Central Government | 11 |
| 21. Board Fund | 11 |
| 22. Budget | 12 |
| 23. Annual Report | 12 |
| 24. Accounts and Audit | 12 |
| 25. Annual Report and Auditor's Report to be laid before Parliament | 12 |

CHAPTER - VII

MISCELLANEOUS

| | |
|---|----|
| 26. Penalty for making false returns | 12 |
| 27. Penalties for obstructing an Officer or Member of the Board in the discharge of his duties and for failure to produce books and records | 12 |
| 28. Penalty for contravention of order relating to control of price, etc | 13 |
| 29. Penalties for contravention of Section - 11 or any order made under Section - 17 Act 52 of 1962 | 13 |
| 30. Other penalties | 13 |
| 31. Offences by Companies | 13 |
| 32. Provisions of Act 52 of 1962 to apply to export of Spices and import of Cardamom | 14 |
| 33. Previous sanction of the Central Government | 14 |
| 34. Delegation | 14 |
| 35. Members, Officers and Employees of the Board to be public servants Act 45 of 1860 | 14 |
| 36. Protection of action taken in good faith | 14 |
| 37. Power to enter | 14 |
| 38. Power to make Rules | 15 |
| 39. Power to make Regulations | 16 |
| 40. Rules and Regulations to be laid before Parliament | 16 |
| 41. Power to remove difficulties | 16 |
| 42. Repeal and Savings Act 42 of 1965 | 17 |
| 43. The Schedule | 17 |

The Spices Board Rules, 1987

CHAPTER - I

PRELIMINARY

| RULE | Page |
|---|-------------|
| 1. Short title, extent and commencement | 18 |
| 2. Definitions | 18 |
| 3. Office of the Board | 18 |

CHAPTER - II

THE BOARD AND ITS COMMITTEES

| | |
|--|----|
| 4. Constitution of the Board and the manner of filling vacancies among members | 19 |
| 5. Term of Office of Members | 20 |
| 6. Membership Roll | 20 |
| 7. Change of Address | 20 |
| 8. Resignation | 21 |
| 9. Removal of Members | 21 |
| 10. Vice-Chairman | 21 |
| 11. Appointment of Committees | 21 |
| 12. Functions of the Committees | 23 |
| 13. Provision for constitution of a Special Committee | 24 |

CHAPTER - III

POWERS AND DUTIES OF CHAIRMAN

| | |
|-----------------------------------|----|
| 14. Powers and duties of Chairman | 24 |
|-----------------------------------|----|

CHAPTER - IV

CERTIFICATE OF REGISTRATION

| | |
|---------------------------------|----|
| 15. Application for Certificate | 25 |
| 16. Appeal | 25 |

CHAPTER - V
FINANCE, BUDGET AND ACCOUNTS OF THE BOARD

| | |
|------------------------|----|
| 17. Budget Estimates | 26 |
| 18. Accounts and Audit | 27 |
| 19. Payment of fees | 27 |
| 20. Annual Report | 27 |

CHAPTER - VI

| | |
|--|----|
| 21. Return to be submitted to the Board by registered owner | 27 |
| Form I Application for grant of Certificate of Registration/Renewal as Exporter of spices | 28 |
| Form II Appeal against refusal to grant Certificate of Registration for commencing/carrying on the business of export of any spice | 34 |
| Form III Form of Return to be submitted by Registered Cardamom Estate Owners | 36 |
| Form IV Income and Expenditure Statement for the period ended | 37 |
| Form V Balance Sheet | 39 |
| Form VI Application for grant of Spice House Certificate | 41 |
| Form VII Spice House Certificate | 45 |